

**अध्याय-4**  
**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर**  
**लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**



## अध्याय-4

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन और अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जैसा कि उनके लेखों से ज्ञात हुआ है, पर चर्चा की गयी है।

#### 4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

##### 4.1.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसे कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो तथा इसमें वह कम्पनी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य कम्पनी<sup>1</sup> को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

##### 4.1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ-साथ सी ए जी (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सी ए जी, कंपनियों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने के तरीके पर निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, सी ए जी

<sup>1</sup> कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04 नवंबर 2014 के माध्यम से जारी किया गया।

को पूरक लेखापरीक्षा करने का भी अधिकार है। तीन सांविधिक निगमों<sup>2</sup> को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा केवल सी ए जी द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के संबंध में, सी ए जी पूरक लेखापरीक्षा करता है।

#### 4.1.2.1 एस पी एस ई की संख्या

31 मार्च 2022 तक, उत्तराखण्ड राज्य में सी ए जी के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एस पी एस ई) थे। इनमें चार सांविधिक निगम और 28 सरकारी कंपनियाँ (नौ<sup>3</sup> निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ<sup>4</sup> और एक<sup>5</sup> सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी) शामिल हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट-4.1.1** में दिया गया है। नौ निष्क्रिय सरकारी कंपनियों में से सात<sup>6</sup> परिसमापन के अधीन हैं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं थी।

यह रिपोर्ट 2019-20 से 2021-22 तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों (या जिसके संबंध में इन वर्षों से सम्बन्धित कम से कम एक लेखा 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त हुआ हो) के दौरान उनके लेखों की प्राप्ति के आधार पर 14 एस पी एस ई<sup>7</sup> के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, एक एस पी एस ई के नवीनतम अंतिमीकृत खातों के वित्तीय आंकड़ों को आगामी वर्षों के लिए प्रदर्शन मापदंडों की गणना हेतु प्रयोग किया गया है (**परिशिष्ट-4.1.1**)। तदनुसार, इस रिपोर्ट में बाद के प्रस्तरों में शामिल एस पी एस ई को **तालिका-4.1.1** में दर्शाया गया है:

<sup>2</sup> उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

<sup>3</sup> यू पी ए आई; ट्रांस केबल्स लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी; उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी; कुमट्रॉन लिमिटेड (कुमट्रॉन), हिल्ट्रॉन की सहायक कंपनी; उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, हिल्ट्रॉन की सहायक कंपनी; उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड, हिल्ट्रॉन की सहायक कंपनी; गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी; कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

<sup>4</sup> निष्क्रिय सरकारी कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो तीन वर्ष से अधिक समय से कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है।

<sup>5</sup> उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

<sup>6</sup> यू पी ए आई, उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, कुमट्रॉन, हिल्ट्रॉन, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड और गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड।

<sup>7</sup> नौ निष्क्रिय कंपनियों और नौ अन्य एस पी एस ई को छोड़कर, जिनके खाते तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे (अर्थात् 2019-20 तक की अवधि के लिए खाते प्राप्त नहीं हुए थे)।

तालिका-4.1.1: इस रिपोर्ट में शामिल एस पी एस ई की व्याप्ति और प्रकृति

एस पी एस ई का वर्गीकरण	राज्य में एस पी एस ई की कुल संख्या	रिपोर्ट में शामिल एस पी एस ई की संख्या				रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए एस पी एस ई की संख्या
		तक के लेखे प्राप्त हुए			कुल	
		2021-22	2020-21	2019-20		
<b>सक्रिय एस पी एस ई</b>						
सरकारी कंपनियाँ	18	02 <sup>8</sup>	08 <sup>9</sup>	01 <sup>10</sup>	11	07 <sup>11</sup>
सांविधिक निगम	04	-	01 <sup>12</sup>	01 <sup>13</sup>	02	02 <sup>14</sup>
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	01	-	01 <sup>15</sup>	-	01	-
<b>निष्क्रिय एस पी एस ई</b>						
सरकारी कंपनियाँ	09	-	-	-	-	09
<b>योग</b>	<b>32</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>02</b>	<b>14</b>	<b>18</b>

#### 4.1.3 एस पी एस ई और राज्य के जी एस डी पी में उनका योगदान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की कंपनियाँ, सांविधिक निगम और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं। एस पी एस ई की स्थापना, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिए किया जाता है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

एस पी एस ई के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस पी एस ई की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। इस अध्याय में शामिल 14 एस पी एस ई के कुल कारोबार और 31 मार्च 2022 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए उत्तराखण्ड राज्य की जी एस डी पी का विवरण तालिका-4.1.2 में दिया गया है।

<sup>8</sup> यू जे वी एन लिमिटेड और उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

<sup>9</sup> उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल); पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल), देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड; उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड; डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड; किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड; और उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

<sup>10</sup> ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (ब्रिडकुल)।

<sup>11</sup> उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम; प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड।

<sup>12</sup> पेयजल निगम।

<sup>13</sup> उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

<sup>14</sup> उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम।

<sup>15</sup> उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

तालिका-4.1.2: उत्तराखण्ड के जी एस डी पी की तुलना में 14 एस पी एस ई के कुल कारोबार का विवरण  
(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
14 एस पी एस ई का कुल कारोबार	9,570.53	9,187.70	9,171.31
उत्तराखण्ड की जी एस डी पी	2,36,988	2,34,660	2,53,832
उत्तराखण्ड के जी एस डी पी में एस पी एस ई के कुल कारोबार का प्रतिशत	4.04	3.92	3.61

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड से प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण एवं सूचना।

तालिका-4.1.2 से देखा जा सकता है कि एस पी एस ई के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 2019-20 की तुलना में 2021-22 के दौरान उनके कुल कारोबार में 4.17 प्रतिशत की कमी आई है। जी एस डी पी में एस पी एस ई का योगदान मामूली रहा।

#### 4.1.4 एस पी एस ई में निवेश और बजटीय सहायता

##### 4.1.4.1 एस पी एस ई में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

31 मार्च 2022 तक, 32 एस पी एस ई की सेक्टर-वार कुल इक्विटी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घकालिक ऋण तालिका-4.1.3 में दिए गए हैं। एस पी एस ई के अनुसार इक्विटी और ऋण का विवरण परिशिष्ट-4.1.2 के अनुसार है।

तालिका-4.1.3: एस पी एस ई में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	निवेश <sup>16</sup>				योग (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण)
	इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		
	योग	उत्तराखण्ड सरकार	योग	उत्तराखण्ड सरकार	
ऊर्जा	3,527.47	3,522.47	4,542.27	551.76	8,069.74
वित्त	24.45	17.88	2.21	1.00	26.66
सेवा	258.71	249.47	190.73	125.09	449.44
बुनियादी ढांचा	33.00	30.30	75.47	21.02	108.47
अन्य	46.82	36.12	292.63	270.96	339.45
<b>योग</b>	<b>3,890.45</b>	<b>3,856.24</b>	<b>5,103.31</b>	<b>969.83</b>	<b>8,993.76</b>

स्रोत: एस पी एस ई से प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण और सूचना।

यह देखा जा सकता है कि एस पी एस ई निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को कुल निवेश का 89.73 प्रतिशत प्राप्त हुआ था।

<sup>16</sup> निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

#### 4.1.4.2 एस पी एस ई द्वारा प्राप्त अनुदान/सब्सिडी

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार से बारह<sup>17</sup> एस पी एस ई को प्राप्त कुल अनुदान/सब्सिडी का विवरण तालिका-4.1.4 में दिया गया है।

तालिका-4.1.4: एस पी एस ई को प्राप्त अनुदान/सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/सब्सिडी		कुल
	उत्तराखण्ड सरकार से	भारत सरकार से	
2019-20	1,110.63	489.68	1,600.31
2020-21	802.16	310.37	1,112.53
2021-22	1,297.35	158.08	1,455.43
<b>कुल</b>	<b>3,210.14</b>	<b>958.13</b>	<b>4,168.27</b>

स्रोत: एस पी एस ई से प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण और सूचना।

पेयजल निगम को 2019-20 से 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार से ₹ 2,560.47 करोड़ (कुल अनुदान/ सब्सिडी का 61.43 प्रतिशत) की बड़ी अनुदान राशि प्राप्त हुई (बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ₹ 2,299.47 करोड़ और राजस्व व्यय के लिए ₹ 261.00 करोड़)। इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भारत सरकार की स्मार्ट सिटी विकास योजना के लिए ₹ 381.50 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 187.50 करोड़ और उत्तराखण्ड सरकार: ₹ 194.00 करोड़) का अनुदान प्राप्त हुआ; उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) को ₹ 682.22 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ (भारत सरकार: दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, आर ए पी डी आर पी और सौभाग्य योजना के लिए ₹ 654.80 करोड़ और उत्तराखण्ड सरकार: ₹ 27.42 करोड़); डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को ₹ 332.67 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई। (उत्तराखण्ड सरकार: किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ₹ 317.53 करोड़ एवं और डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड को भारत सरकार से ₹ 15.14 करोड़ निर्यात चीनी सब्सिडी और बफर स्टॉक सब्सिडी के रूप में)। उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और

<sup>17</sup> यू पी सी एल, यू जे वी एन एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और प्लास्टिक पार्क लिमिटेड।

औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को ₹ 174.11 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई (उत्तराखण्ड सरकार: मेगा औद्योगिक और निवेश नीति-2015 और मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति- 2014 के अंतर्गत ₹ 87.52 करोड़ और भारत सरकार: औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए ₹ 86.59 करोड़)। शेष छः अन्य एस पी एस ई<sup>18</sup> को भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार से ₹ 37.30 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी प्राप्त हुई।

#### 4.1.4.3 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

एस पी एस ई के अभिलेखों के आँकड़ों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋणों और गारंटियों के आंकड़े, उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाना चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित एस पी एस ई और वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2022 तक 14 एस पी एस ई (13 सरकारी कंपनियां और एक सांविधिक निगम) के संबंध में ऐसे अंतर मौजूद थे, जैसा कि **परिशिष्ट-4.1.3** में वर्णित है और **तालिका-4.1.5** में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका-4.1.5: एस पी एस ई के अभिलेखों की तुलना में उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटी

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	क्षेत्र	के अनुसार धनराशि		अंतर
		एस पी एस ई	वित्त लेखे	
इक्विटी	ऊर्जा क्षेत्र	3,517.47	3,502.79	14.68
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य	331.03	300.63	30.40
	<b>योग</b>	<b>3,848.50</b>	<b>3,803.42</b>	<b>45.08</b>
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	551.76	380.04	171.72
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य	373.40	215.47	157.93
	<b>योग</b>	<b>925.16</b>	<b>595.51</b>	<b>329.65</b>
गारंटी	ऊर्जा क्षेत्र	122.21	122.21	0.00
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य	196.50	1.25	195.25
	<b>योग</b>	<b>318.71</b>	<b>123.46</b>	<b>195.25</b>
<b>महायोग</b>		<b>5,092.37</b>	<b>4,522.39</b>	<b>569.98</b>

स्रोत: वर्ष 2021-22 के लिए एस पी एस ई और वित्त लेखों से प्राप्त सूचना।

<sup>18</sup> यू जे वी एन एल (₹ 0.53 करोड़), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 20.90 करोड़), उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड (₹ 6.78 करोड़), उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.30 करोड़), उत्तराखण्ड वन विकास निगम (₹ 2.00 करोड़) और प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (₹ 6.79 करोड़)।

आंकड़ों में अंतर कई वर्षों से बना हुआ है। अंतरों के मिलान के मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित एस पी एस ई और विभागों के साथ भी उठाया गया, हालांकि, इस संबंध में कार्रवाई अभी भी प्रतीक्षित है। तीन ऊर्जा क्षेत्र के एस पी एस ई<sup>19</sup> और ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त चार<sup>20</sup> अन्य एस पी एस ई के संबंध में शेष राशि में बड़ा अंतर देखा गया, जैसा कि **परिशिष्ट-4.1.3** में वर्णित है।

#### 4.1.4.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, एस पी एस ई के विनिवेश/ पुनर्गठन/ निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया। उत्तराखण्ड सरकार ने एस पी एस ई में निवेश की गई राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

#### 4.1.5 एस पी एस ई से प्रतिफल

##### 4.1.5.1 एस पी एस ई द्वारा अर्जित लाभ

इस रिपोर्ट में शामिल 14 एस पी एस ई<sup>21</sup> में से जिन सात एस पी एस ई ने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया, उन्होंने 2021-22 में भी लाभ अर्जित किया। हालांकि, अर्जित लाभ 2020-21 के ₹ 285.33 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 270.24 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, इन सात एस पी एस ई के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न (आर ओ ई) 2020-21 में 7.29 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 6.65 प्रतिशत हो गया। अधिकतम लाभ का योगदान देने वाले चार एस पी एस ई का विवरण **तालिका-4.1.6** में दिया गया है।

तालिका-4.1.6: शीर्ष चार एस पी एस ई जिन्होंने 2021-22 के दौरान अधिकतम लाभ का योगदान दिया

एस पी एस ई का नाम	शुद्ध अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	सात एस पी एस ई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
यू जे वी एन एल	121.86	45.09
उत्तराखण्ड वन विकास निगम	93.06	34.44
पिटकुल	41.61	15.40
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	9.11	3.37
<b>कुल योग</b>	<b>265.64</b>	<b>98.30</b>

स्रोत: एस पी एस ई के नवीनतम वित्तीय विवरण।

<sup>19</sup> यू पी सी एल, पिटकुल और यू जे वी एन एल।

<sup>20</sup> उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड।

<sup>21</sup> सात एस पी एस ई ने लाभ कमाया; छः एस पी एस ई को घाटा हुआ; और एक एस पी एस ई अर्थात् किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड शून्य लाभ/ हानि के साथ रहा, क्योंकि किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, चार एस पी एस ई ने सात एस पी एस ई के कुल लाभ में 98.30 प्रतिशत का योगदान दिया। इन सात एस पी एस ई में से यू जे वी एन एल ने सबसे ज्यादा लाभ कमाया।

#### 4.1.5.2 एस पी एस ई की परिचालन दक्षता

ग्यारह एस पी एस ई<sup>22</sup> के संबंध में कर के बाद कुल लाभ/हानि, परिचालन गतिविधियों से आय और अन्य आय का विवरण तालिका-4.1.7 में दिया गया है।

तालिका-4.1.7: एस पी एस ई की परिचालन दक्षता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
क. परिचालन गतिविधियों से आय (कुल कारोबार)	9,570.53	9,187.70	9,171.31
ख. अन्य आय	200.98	211.38	249.15
ग. लाभ/हानि (कर के बाद)	(-)292.26	68.50	53.89
घ. परिचालन दक्षता प्रतिशत (ग/कx100)	(-) 3.05	0.75	0.59
ङ. यू पी सी एल को हुयी हानि	(-)577.31	(-)151.75	(-)151.75
च. यू पी सी एल को छोड़कर अन्य एस पी एस ई का लाभ/ हानि (ग-ङ)	285.05	220.25	205.64

स्रोत: एस पी एस ई के नवीनतम वित्तीय विवरण।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 11 एस पी एस ई का, 0.59 प्रतिशत की परिचालन दक्षता के साथ कुल लाभ/हानि, ₹ 9,171.31 करोड़ की परिचालन गतिविधियों से आय के सापेक्ष, ₹ 53.89 करोड़ था। परिचालन दक्षता 2019-20 में (-)3.05 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 0.59 प्रतिशत हो गई है। 11 एस पी एस ई को हुए घाटे एवं अर्जित परिचालन आय में यू पी सी एल का प्रमुख योगदान था। शेष 10 एस पी एस ई की परिचालन दक्षता सकारात्मक रही, जिसमें लाभ में ₹ 285.05 करोड़ (2019-20) से ₹ 205.64 करोड़ (2021-22) तक कमी के साथ घटती प्रवृत्ति देखी गयी। अन्य आय, परिचालन गतिविधियों से प्राप्त आय के 2.10 प्रतिशत से 2.72 प्रतिशत के बीच थी।

#### 4.1.5.3 विद्युत उत्पादन कंपनियों पर यू पी सी एल का बकाया

यू पी सी एल (एकमात्र वितरण लाइसेंसधारी) उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा के वितरण और खुदरा आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य पी एस यू और केंद्रीय पी एस यू से विद्युत की खरीद तालिका-4.1.8 में दी गई है।

<sup>22</sup> तीन एस पी एस ई (किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड और देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड) की परिचालन गतिविधियों से कोई आय नहीं थी, इसलिए उन्हें बाहर रखा गया।

तालिका-4.1.8: विद्युत उत्पादन कंपनियों पर यू पी सी एल का बकाया

(₹ करोड़ में)

विद्युत की क्षेत्रवार खरीद	01 अप्रैल 2019 तक बकाया राशि का प्रारंभिक शेष	2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान देय भुगतान	2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बकाया के विरुद्ध भुगतान किया गया	31 मार्च 2022 को बकाया राशि का अंतिम शेष
केंद्र के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम <sup>23</sup>	378.66	4,475.78	4,712.98	141.46
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम <sup>24</sup>	966.48	1,887.60	2,234.40	619.68
<b>योग</b>	<b>1,345.14</b>	<b>6,363.38</b>	<b>6,947.38</b>	<b>761.14</b>

स्रोत: एस पी एस ई द्वारा दी गई सूचना।

उपरोक्त से देखा जा सकता है, यू पी सी एल ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सार्वजनिक उपक्रम और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम से ₹ 6,363.38 करोड़ की विद्युत क्रय की गयी। 31 मार्च 2022 तक, राज्य सार्वजनिक उपक्रम (81.41 प्रतिशत) और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (18.59 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹ 761.14 करोड़ बकाया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान, यू पी सी एल ने धन की कमी के कारण ₹ 98.69 करोड़<sup>25</sup> के भुगतान में चूक की, हालांकि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोई चूक नहीं हुई।

#### 4.1.5.4 एस पी एस ई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

उत्तराखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके अंतर्गत एस पी एस ई को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना हो। एस पी एस ई द्वारा भुगतान/घोषित किया गया लाभांश, जहां उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया था, तालिका-4.1.9 दर्शाया गया है।

तालिका-4.1.9: एस पी एस ई द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभांश घोषित करने वाले एस पी एस ई की संख्या	प्रदत्त पूंजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	2	3	4	5
2019-20	2	1,829.06	220.35	16.94
2020-21	2	1,941.65	178.56	44.87
2021-22	2	2,007.56	163.47	35.00

स्रोत: एस पी एस ई का नवीनतम वित्तीय विवरण।

<sup>23</sup> एन टी पी सी, एन पी सी एल, एन एच पी सी, एस जे वी एन एल, और टी एच डी सी।

<sup>24</sup> उरेडा एवं यू जे वी एन एल।

<sup>25</sup> एन टी पी सी, यू जे वी एन एल और एस जे वी एन एल।

2019-20 से 2021-22 के दौरान, यू जे वी एन एल और पिटकूल ने लाभांश का भुगतान/घोषणा किया। यू जे वी एन एल और पिटकूल ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी प्रतिधारित आय पर क्रमशः 2.42 प्रतिशत और 1.71 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान/घोषणा किया। किसी भी अन्य एस पी एस ई ने लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

#### 4.1.6 ऋण भुगतान

##### 4.1.6.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात से पता चलता है कि कम्पनी ब्याज पर होने वाले अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। जिन एस पी एस ई पर ब्याज का भार था, उनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका-4.1.10 में दिया गया है।

तालिका-4.1.10: एस पी एस ई का ब्याज व्याप्ति अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पहले की आय	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले एस पी एस ई की संख्या	एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2019-20	257.15	(-)/92.10	8 <sup>26</sup>	5 <sup>27</sup>	3 <sup>28</sup>
2020-21	297.37	301.67	8	4 <sup>29</sup>	4 <sup>30</sup>
2021-22	291.08	280.31	8	4 <sup>31</sup>	4 <sup>32</sup>

स्रोत: एस पी एस ई का नवीनतम वित्तीय विवरण।

<sup>26</sup> ब्रिडकुल भी शामिल है जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान अपना ₹ तीन करोड़ का ऋण चुकाया।

<sup>27</sup> पिटकूल, यू जे वी एन एल, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, ब्रिडकुल और उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

<sup>28</sup> यू पी सी एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड और पेयजल निगम।

<sup>29</sup> पिटकूल, यू जे वी एन एल, ब्रिडकुल और उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

<sup>30</sup> यू पी सी एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और पेयजल निगम।

<sup>31</sup> पिटकूल, यू जे वी एन एल, ब्रिडकुल, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

<sup>32</sup> यू पी सी एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और पेयजल निगम।

2021-22 के दौरान, चार एस पी एस ई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था और चार एस पी एस ई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इसलिए, एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले एस पी एस ई, अपनी ब्याज देनदारी को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

#### 4.1.6.2 उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर भुगतान न किए गए ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक, चार एस पी एस ई के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋण पर ₹ 469.90 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। एस पी एस ई द्वारा उत्तराखण्ड सरकार ऋणों पर अदत्त ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण तालिका-4.1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1.11: उत्तराखण्ड सरकार के ऋण पर अदत्त ब्याज

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	ऋणों पर कुल अदत्त ब्याज	वर्ष के हिसाब से विश्लेषण		
		एक वर्ष से कम समय से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	1 से 3 वर्षों तक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	तीन वर्ष से अधिक समय से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड,	251.84	21.29	42.58	187.97
किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	205.44	18.35	36.70	150.39
यू जे वी एन एल	8.21	2.09	6.12	-
उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	4.41	0.88	2.57	0.96
<b>महायोग</b>	<b>469.90</b>	<b>42.61</b>	<b>87.97</b>	<b>339.32</b>

स्रोत: एस पी एस ई द्वारा दी गई सूचना।

31 मार्च 2022 तक ₹ 469.90 करोड़ के कुल अदत्त ब्याज में से, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड द्वारा ₹ 250.46 करोड़ के कुल ऋण के सापेक्ष ₹ 457.28 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। 2001-02 से 2015-16 (डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड) और 2002-03 से 2018-19 (किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड) के दौरान ऋण प्राप्त होने के बाद से ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इन दोनों एस पी एस ई ने अपना ऋण भी नहीं चुकाया था। यू जे वी एन एल ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया।

#### 4.1.7 एस पी एस ई का प्रदर्शन

##### 4.1.7.1 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता और उसकी पूंजी नियोजित करने की दक्षता को मापता है। आर ओ सी ई की गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूंजी<sup>33</sup> से विभाजित करके की जाती है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 14 एस पी एस ई के आर ओ सी ई का विवरण तालिका-4.1.12 में दिया गया है।

तालिका-4.1.12: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज और कर से पहले की आय	नियोजित पूंजी	आर ओ सी ई (प्रतिशत में)
2019-20	9.18	4,307.27	0.21
2020-21	401.62	5,454.17	7.36
2021-22	380.91	5,643.06	6.75

स्रोत: एस पी एस ई का नवीनतम वित्तीय विवरण।

जैसा कि देखा जा सकता है, 2019-20 से 2020-21 तक आर ओ सी ई बढ़कर 7.15 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, 2020-21 से 2021-22 में इसमें 0.61 प्रतिशत की कमी आई। 2020-21 में आर ओ सी ई में वृद्धि का मुख्य कारण यू पी सी एल की ब्याज और करों से पहले की आय में ₹ 427.35 करोड़<sup>34</sup> का सुधार था, जबकि यू जे वी एन एल की ब्याज और करों से पहले की आय में ₹ 21.36 करोड़<sup>35</sup> की कमी के कारण 2020-21 की तुलना में 2021-22 में आर ओ सी ई में मामूली कमी आई।

##### 4.1.7.2 एस पी एस ई द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि किसी कम्पनी की संपत्ति का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आर ओ ई की गणना शुद्ध आय (यानी करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि<sup>36</sup> से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कम्पनी के

<sup>33</sup> नियोजित पूंजी = भुगतान की गई शेयर पूंजी + निःशुल्क आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

<sup>34</sup> 2019-20 में ब्याज और कर से पहले की आय (-) ₹ 447.57 करोड़ से 2020-21 में (-) ₹ 20.22 करोड़।

<sup>35</sup> 2020-21 में ब्याज और कर से पहले की आय ₹ 190.77 करोड़ से 2021-22 में ₹ 169.41 करोड़।

<sup>36</sup> शेयरधारकों का कोष = प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर।

लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं।

शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि यदि सभी सम्पत्तियां बेच दी जाएँ और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कम्पनी के हितधारकों के लिए कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारक की निधि से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी का अर्थ है कि देनदारियां संपत्ति से अधिक हैं।

एस पी एस ई से सम्बन्धित कुल शुद्ध आय, शेयरधारकों की निधि और आर ओ ई का विवरण तालिका-4.1.13 में दिया गया है।

तालिका-4.1.13: एस पी एस ई से सम्बन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया था

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शुद्ध आय	शेयरधारकों का कोष	आर ओ ई (प्रतिशत में)
2019-20	(-) 292.26	469.90	-.37
2020-21	68.50	539.23	12.70
2021-22	53.89	685.80	7.86

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, एस पी एस ई की शुद्ध आय 2019-20 में (-)₹ 292.26 करोड़ की तुलना में 2020-21 में सकारात्मक (₹ 68.50 करोड़) हो गई। परिणामस्वरूप, 2020-21 में आर ओ ई 12.70 प्रतिशत था। हालाँकि, शुद्ध आय में कमी और शेयरधारक की निधि में वृद्धि के कारण 2021-22 में आर ओ ई में 4.84 प्रतिशत की कमी आई।

#### 4.1.7.3 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर ओ आर आर)

आर ओ आर आर उस लाभप्रदता और दक्षता को जिसके साथ इक्विटी और इसी तरह की गैर-ब्याज वाली पूंजी को नियोजित किया गया है, का मापन उनके समय/वर्तमान मूल्य का समायोजन करते हुए करती है और जब इसकी तुलना परंपरागत प्रतिफल की दर, जिसकी गणना सभी ऐतिहासिक लागत पर निवेशों के योग से कर के बाद लाभ को विभाजित करके की जाती है तो इसका महत्व माना जाता है।

14 एस पी एस ई में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश की आर ओ आर आर की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

<sup>37</sup> काम नहीं किया गया, क्योंकि शुद्ध आय ऋणात्मक है।

- इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान के रूप में एस पी एस ई में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूंजी के वास्तविक निवेश और एस पी एस ई को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए दी गई सब्सिडी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश माना गया है।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी ऋण की औसत ब्याज दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था, ताकि समय/वर्तमान मूल्य निकाला जा सके, क्योंकि यह उस वर्ष के लिए सरकारी निधि के निवेश पर होने वाली लागत को दर्शाता है और इसलिए इसे सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना गया।
- उत्तराखण्ड सरकार के निवेश की आर ओ आर आर गणना के लिए, 31 मार्च 2001 को 2000-01 की शुरुआत में उत्तराखण्ड सरकार निवेश के समय/वर्तमान मूल्य के रूप में इन 14 एस पी एस ई में निवेश को ध्यान में रखते हुए 2000-01 से 2021-22 तक की अवधि ली गयी है।

2000-01 से 31 मार्च 2022 तक 14 एस पी एस ई से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के निवेश के आर ओ आर आर की समेकित स्थिति तालिका-4.1.14 में दर्शाई गई है।

तालिका-4.1.14: सरकारी निवेश पर आर ओ आर आर के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का पी.वी	वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी निवेश	वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया गया	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	उत्तराखण्ड सरकार वर्ष के अंत में वर्ष के लिए उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	उत्तराखण्ड सरकार वर्ष के अंत में वर्ष के लिए कुल निवेश का समय/वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल आय
क	ख	ग	घ	ङ	च=ग+घ+ङ	छ=ख+च	ज	झ=छx(1+ज/100)	ञ=छxज/100	ट
OB		17.54	0.00	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54		
2001-02	17.54	16.00	0.00	0.00	16.00	33.54	8.36	36.34	2.80	-30.06
2002-03	36.34	1.20	1.00	0.00	2.20	38.54	10.40	42.55	4.01	-13.80
2003-04	42.55	0.00	0.00	0.25	0.25	42.80	8.51	46.45	3.64	-34.73
2004-05	46.45	169.66	0.00	0.40	170.06	216.51	9.10	236.21	19.70	-180.75
2005-06	236.21	241.64	0.00	1.58	243.22	479.43	7.47	515.24	35.81	-125.29
2006-07	515.24	119.98	-0.25	1.00	120.73	635.97	7.79	685.51	49.54	-180.25
2007-08	685.51	229.20	0.00	0.00	229.20	914.71	7.99	987.80	73.09	-206.65

**अध्याय-4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**

क	ख	ग	घ	ङ	च=ग+घ+ङ	छ=ख+च	ज	झ=छx (1+ज/100)	ञ=छxज/100	ट
2008-09	987.80	72.08	0.00	3.35	75.43	1,063.23	7.75	1,145.63	82.40	-347.35
2009-10	1,145.63	697.83	0.00	9.18	707.01	1,852.64	7.64	1,994.18	141.54	-543.10
2010-11	1,994.18	31.78	0.00	0.12	31.90	2,026.08	7.34	2,174.79	148.71	-196.78
2011-12	2,174.79	42.78	0.00	0.00	42.78	2,217.57	7.83	2,391.21	173.64	5.33
2012-13	2,391.21	517.30	0.00	0.00	517.30	2,908.51	8.50	3,155.73	247.22	8.80
2013-14	3,155.73	258.80	0.00	0.29	259.09	3,414.82	7.57	3,673.33	258.50	339.32
2014-15	3,673.33	171.25	0.00	0.35	171.60	3,844.93	7.73	4,142.14	297.21	-134.66
2015-16	4,142.14	208.54	8.00	19.60	236.14	4,378.28	8.19	4,736.86	358.58	155.53
2016-17	4,736.86	130.01	0.00	12.96	142.97	4,879.83	8.91	5,314.62	434.79	-175.02
2017-18	5,314.62	53.15	0.00	61.21	114.36	5,428.98	8.27	5,877.96	448.98	-136.60
2018-19	5,877.96	193.01	0.00	232.01	425.02	6,302.98	8.15	6,816.68	513.69	-464.53
2019-20	6,816.68	133.34	0.00	220.90	354.24	7,170.92	7.26	7,691.53	520.61	-292.26
2020-21	7,691.53	147.58	0.00	206.30	353.88	8,045.41	6.83	8,594.91	549.50	68.50
2021-22	8,594.91	100.91	0.00	185.50	286.41	8,881.32	6.55	9,463.05	581.73	53.89
<b>योग</b>		<b>3,553.58</b>	<b>8.75</b>	<b>955.00</b>	<b>4,517.33</b>					

**स्रोत: एस पी एस ई से प्राप्त वित्तीय विवरण और सूचना के अनुसार।**

उपरोक्त से देखा जा सकता है, इन एस पी एस ई में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गयी राशि 2000-01 में ₹ 17.54 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,517.33 करोड़<sup>38</sup> हो गयी क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार ने 2001-02 से 2021-22 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹ 3,536.04 करोड़), ब्याज मुक्त ऋण (₹ 8.75 करोड़) और अनुदान/ सब्सिडी (₹ 955.00 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2022 तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गयी निधि का समय/वर्तमान मूल्य ₹ 9,463.05 करोड़ था।

2013-14 के दौरान, इन 14 एस पी एस ई की आय आर ओ आर आर से अधिक थी। शेष वर्षों में आय आर ओ आर आर से कम थी, जिसका मुख्य कारण डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और यू पी सी एल को हुयी हानि थी। दो एस पी एस ई अर्थात् पिटकुल और यू जे वी एन एल ने उत्तराखण्ड राज्य में एकमात्र पावर-पारेषण कम्पनी (पिटकुल) और प्रमुख पावर-जनरेटर (यू जे वी एन एल) होने के कारण बाजार में अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के कारण वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित किया।

<sup>38</sup> ₹ 4517.33 करोड़ = ₹ 3553.58 करोड़ (इक्विटी) + ₹ 8.75 करोड़ (ब्याज मुक्त ऋण) + ₹ 955.00 करोड़ (परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान/ सब्सिडी) ।

#### 4.1.8 एस पी एस ई को हो रही हानि

##### 4.1.8.1 उठाए गई हानि

इस अध्याय में 14 एस पी एस ई में से छः एस पी एस ई<sup>39</sup> शामिल थे, जिनके 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त उनके नवीनतम अंतिम लेखों (अर्थात मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों से सम्बन्धित कम से कम एक खाता) के अनुसार हानि हुई थी। इन एस पी एस ई द्वारा की गई हानि 2019-20 में ₹ 631.74 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 216.35 करोड़ हो गयी जैसा कि तालिका-4.1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1.15: घाटे में रहने वाले एस पी एस ई का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घाटे में चल रहे एस पी एस ई की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य <sup>40</sup>
2019-20	04 <sup>41</sup>	(-) 631.74	(-) 4,366.67	(-) 2,915.66
2020-21	06 <sup>42</sup>	(-) 216.83	(-) 4,881.80	(-) 3,382.40
2021-22	06 <sup>43</sup>	(-) 216.35	(-) 4,882.64	(-) 3,383.24

2021-22 में, छः एस पी एस ई द्वारा किए गए ₹ 216.35 करोड़ की कुल हानि में से, अकेले यू पी सी एल की हानि ₹ 151.75 करोड़ की थी। यू पी सी एल के संबंध में, घाटे का मुख्य कारण औसत लागत ₹ 4.97 प्रति यूनिट के सापेक्ष ₹ 4.86 प्रति यूनिट की राजस्व वसूली थी। जहां तक डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड व किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड का संबंध है, हानि का मुख्य कारण ₹ 39.89 करोड़ की महत्वपूर्ण वित्त लागत (कुल हानि ₹ 42.72 करोड़ का 93 प्रतिशत) थी।

##### 4.1.8.2 एस पी एस ई में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2022 तक, ₹ 4,907.48 करोड़ के संचित हानि के साथ सात एस पी एस ई<sup>44</sup> थे, जिनमें से छः एस पी एस ई<sup>45</sup> को वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 216.35 करोड़ की

<sup>39</sup> उ पा कॉ लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि, डी एस सी एल, कि सु कं लि, पेयजल निगम और डो सु कं लि।

<sup>40</sup> निवल मूल्य = प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष घटाकर संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय। मुक्त भंडार का मतलब मुनाफे और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार हैं, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यहास प्रावधान को वापस लिखने से बनाए गए भंडार शामिल नहीं हैं।

<sup>41</sup> उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम।

<sup>42</sup> उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, दे स्म सि लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम।

<sup>43</sup> उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, दे स्म सि लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम।

<sup>44</sup> उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, डी एस सी एल, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम और उ सी त डे कॉ लि।

<sup>45</sup> उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, डी एस सी एल और उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि।

हानि हुई। इसके अतिरिक्त, एक एस पी एस ई अर्थात् यू के टी डी सी को 2021-22 के दौरान हानि नहीं हुई थी, हालांकि उसकी संचित हानि ₹ 24.84 करोड़ थी।

इन सात एस पी एस ई की निवल संपत्ति संचित हानि के कारण पूरी तरह समाप्त हो गई है और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी। 31 मार्च 2022 तक, इन एस पी एस ई की कुल संपत्ति ₹ 1,503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 3,404.00 करोड़ थी। सात एस पी एस ई में से, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई है, एक एस पी एस ई अर्थात् यू के टी डी सी ने 2021-22 के दौरान ₹ 2.57 करोड़ का लाभ कमाया था। सात एस पी एस ई में से पांच<sup>46</sup> में, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई है, 31 मार्च 2022 तक उत्तराखण्ड सरकार का बकाया ऋण ₹ 295.66 करोड़ था।

#### 4.1.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सी ए जी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां जारी करने या पूरक करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले संविधियों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाए और लेखापरीक्षित लेखों और प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत की जाए।

#### 4.1.10 सी ए जी द्वारा एस पी एस ई के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सी ए जी द्वारा नियुक्त किया जाना है। वर्ष 2021-22 के लिए इन कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सी ए जी द्वारा की गई थी।

#### 4.1.11 एस पी एस ई द्वारा लेखे प्रस्तुत करना

##### 4.1.11.1 वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक<sup>47</sup> के तीन

<sup>46</sup> उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, पेयजल निगम और उ सी त डे कॉ लि।

<sup>47</sup> पहली वार्षिक आम बैठक के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी।

महीने के भीतर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में सी ए जी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त वार्षिक आम बैठक में रखा जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर अर्थदण्ड और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

विभिन्न एस पी एस ई के वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2022 तक बकाया थे, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तर में बताया गया है।

#### 4.1.11.2 सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखा तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक, सी ए जी के लेखापरीक्षा के दायरे में 28 सरकारी कंपनियाँ थीं। हालाँकि, केवल दो सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 तक सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे तैयार और प्रस्तुत किए थे। 19 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण तालिका-4.1.16 में दिया गया है।

तालिका-4.1.16: सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण	संख्या
31 मार्च 2022 तक सी ए जी के लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	28
30 सितंबर 2022 तक लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021-22 के लेखे प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	02 <sup>48</sup>
उन कंपनियों की संख्या जो परिसमापन के अधीन थीं	07 <sup>49</sup>

<sup>48</sup> यू जे वी एन एल और उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

<sup>49</sup> यू पी ए आई, उ प्र डि लि, कुमट्रॉन, हिलट्रॉन उ प्र हि फो लि, उ प्र हि क्वा लि और ग अ ज वि नि लि।

विवरण		संख्या
उन कंपनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		19
19 कंपनियों के संबंध में बकाया वार्षिक लेखों की संख्या		130
बकाया का विवरण	(i) निष्क्रिय (दो कंपनियाँ अर्थात् टी सी एल और के ए जे वी एन एल)	57
	(ii) सक्रिय (17 कंपनियाँ)	73
<b>'अन्य' श्रेणी के विरुद्ध बकाया का वर्ष-वार विश्लेषण</b>		
एक-वर्षी (2021-22) लेखे - नौ कंपनियाँ <sup>50</sup>		09
दो वर्ष (2020-21 और 2021-22) - दो कंपनियाँ <sup>51</sup>		04
तीन वर्ष और अधिक - छः कंपनियाँ <sup>52</sup>		60

राज्य में नौ निष्क्रिय कंपनियाँ (परिसमापन के अंतर्गत सात सहित) हैं, जहाँ दो निष्क्रिय कंपनियों के लेखों का बकाया 22 से 35 वर्षों के बीच है। उत्तराखण्ड सरकार ने इन नौ निष्क्रिय कंपनियों में ₹ 37.31 करोड़ (इक्विटी ₹ 12.28 करोड़ और ऋण ₹ 25.03 करोड़) का निवेश किया था। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि इन निष्क्रिय कंपनियों में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देता है और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है (परिशिष्ट-4.1.1)।

इसके अतिरिक्त, 17 सक्रिय कंपनियाँ थीं, जिनके 73 वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2022 तक एक वर्ष से 17 वर्षों तक बकाया थे। लेखों की बकाया अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने नौ कंपनियों में ₹ 368.14 करोड़ (अनुदान/सब्सिडी: ₹ 314.56 करोड़, इक्विटी ₹ 44.08 करोड़, ऋण: ₹ 9.50 करोड़) का निवेश किया था। जबकि सात कंपनियों में बकाया लेखों की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया। एक कम्पनी<sup>53</sup> ने न तो कोई जानकारी दी थी और न ही अपना पहला लेखा तैयार/प्रस्तुत किया था। कंपनियों के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के अभाव में, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया निवेश लेखापरीक्षा और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा (परिशिष्ट-4.1.4)।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने इन कंपनियों के लेखों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के साथ नियमित पत्राचार किया।

इसके अतिरिक्त, 31 जनवरी 2022 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई और इसमें सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार के साथ-साथ एस पी एस ई के

<sup>50</sup> उ प वि नि नि लि, उ पा कॉ लि, पिटकल, दे स्म सि लि, कि कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, उ पू सै क नि लि और उ सी त डे कॉ लि।

<sup>51</sup> सि प्ला पा लि और स्टे इंड इंडे कॉ उ लि।

<sup>52</sup> स्टे इंड इंडे कॉ उ लि, कु मं वि नि लि, ग मं वि नि लि, उ अ क व वि नि, उ ई टी डे कॉ और उ ब वि नि लि।

<sup>53</sup> उत्तराखण्ड अल्पसंख्या कल्याण वक्फ विकास निगम।

एमडी/निदेशक (वित्त) ने भाग लिया, जिसमें सचिव (वित्त) द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि एस पी एस ई के बकाया लेखों को तैयार/प्रस्तुत करने का कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

#### **4.1.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता**

चार सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है। 30 सितंबर 2022 तक किसी भी सांविधिक निगम ने लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखे तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किए। 30 सितंबर 2022 तक इन सांविधिक निगमों के बारह लेखे एक से छः वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे।

लेखों के बकाया की अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने तीन सांविधिक निगमों में ₹ 1,124.66 करोड़ (अनुदान/सब्सिडी: ₹ 1,030.31 करोड़, ऋण: ₹ 94.35 करोड़) का निवेश किया था, जबकि एक सांविधिक निगम में कोई और निवेश नहीं किया गया था। सांविधिक निगम के लेखों को अंतिम रूप देने के अभाव में, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया निवेश लेखापरीक्षा और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

#### **4.1.12 सी ए जी की निगरानी - लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा**

##### **4.1.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा**

कंपनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। सांविधिक निगमों को अपने लेखे सी ए जी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखों से सम्बन्धित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की आवश्यकता होती है।

##### **4.1.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सी ए जी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निगरानी भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से

निर्वहन करते हैं। इस कार्य को शक्ति का प्रयोग करके निर्वहन किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी।

#### **4.1.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा**

कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं सी ए जी द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी ए जी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सी ए जी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत वार्षिक आम बैठक के समक्ष रखा जाता है।

#### **4.1.13 सी ए जी की निगरानी भूमिका का परिणाम**

##### **4.1.13.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा**

01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान नौ सरकारी कंपनियों<sup>54</sup> से वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों के लिए नौ वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। जिनमें से, एस पी एस ई के सात वित्तीय विवरणों की सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा

<sup>54</sup> दे स्म सि लि, पिटकुल, कि सु कं लि, डो सु कं लि, यू के टी डी सी, उ प वि नि नि लि, यू जे वी एन एल, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड और ग मं वि नि लि।

की गई और शेष दो<sup>55</sup> वित्तीय विवरणों के संबंध में समीक्षा न करने का निर्णय लिया गया। समीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित प्रस्तर में विस्तृत हैं:

**4.1.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ**

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, सी ए जी ने सात सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 81.51 करोड़ और परिसंपत्तियों/ देनदारियों पर ₹ 102.90 करोड़ था, जैसा कि तालिका-4.1.17 में विस्तृत है।

तालिका-4.1.17: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	यू जे वी एन एल (2021-22)	अ. लाभ एवं हानी खाता में हाउसकीपिंग व्यय (₹ 2.72 करोड़) और निर्माणाधीन परियोजना अर्थात् व्यासी परियोजना (₹ 5.97 करोड़) के बीमा कवर की खरीद पर किए गए व्यय की बुकिंग के कारण प्रगतिशील पूंजीगत कार्य एवं लाभ को खातों में ₹ 8.69 करोड़ अधिक बताया गया ब. यू ई आर सी के निर्देशों के अनुसार यू पी सी एल (₹ 62.97 करोड़) और एच पी एस ई बी (₹ 8.66 करोड़) को देय राशि के लिए लेखों में प्रावधान नहीं करने के कारण अन्य वित्तीय देनदारियां कम बताई गईं, और लाभ ₹ 71.63 करोड़ से अधिक बताया गया। स. जनवरी से मार्च 2022 की अवधि के दौरान व्यासी परियोजना (₹ 4.64 करोड़) और मनेरी भाली-1 (₹ 0.60 करोड़) पर किए गए व्यय ₹ 5.24 करोड़ का प्रावधान न होने के कारण पूंजीगत कार्य-प्रगति के साथ-साथ अन्य वर्तमान देनदारियां कम बताई गईं साथ ही लेखों में नहीं डाला गया।
2.	पिटकुल (2020-21)	पूंजीगत कार्य-प्रगति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और संपत्ति संयंत्र और उपकरण को पूर्ण संपत्तियों के कारण कम बताया गया, जिसकी ₹ 6.44 करोड़ (400 केवी रूडकी-मुजफ्फरनगर लाइन ₹ 5.27 करोड़ और 400 केवी ऋषिकेश-नहतौर लाइन ₹ 1.17 करोड़) की राशि लेखों में पूंजीकृत नहीं की गई।
3.	डी ओ एस सी एल (2020-21)	₹ 2.25 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति के सापेक्ष ₹ 2.86 करोड़ प्राप्य सब्सिडी की अधिक बुकिंग के कारण अन्य चालू परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और हानि को ₹ 61 लाख से कम बताया गया।

<sup>55</sup> यू के टी डी सी, कि सु कं लि।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
4.	डी ई एस सी एल (2020-21)	अ) परामर्श शुल्क, विज्ञापन व्यय आदि से सम्बन्धित खर्चों का प्रावधान लेखों में नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अल्पकालिक प्रावधानों और व्यय को कम बताया गया और अन्य दीर्घकालिक देनदारियों को ₹ 1.48 करोड़ से अधिक बताया गया। ब) लाभ और हानि लेखे में लगाए गए मूल्यहास की सीमा तक प्रशासनिक और परिचालन व्यय (ए एंड ओई) के प्रतिकूल प्राप्त अनुदान को "अन्य आय" के रूप में नहीं दर्शाने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए "अन्य आय" और हानि को कम और अन्य दीर्घकालिक देनदारियां (अप्रयुक्त अनुदान) को ₹ 58 लाख से अधिक दर्शाया गया।
5.	यू पी डी सी सी एल (2020-21)	लेखों में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत "हर की पौड़ी, हरिद्वार के नवीनीकरण" के लिए 31 मार्च 2021 तक किए गए कार्यों से सम्बन्धित खर्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अन्य वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्य को ₹ 8.23 करोड़ से कम करके दिखाया गया था।

#### 4.1.13.3 सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

चार सांविधिक निगमों<sup>56</sup> की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है। 01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान तीन<sup>57</sup> वैधानिक निगमों से पिछले वर्षों के छः<sup>58</sup> वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा में सांविधिक निगमों के सभी छः वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई।

सी ए जी द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनकी परिसंपत्तियों/ देनदारियों पर ₹ 177.40 करोड़ लाभप्रदता पर ₹ 98.55 करोड़ का वित्तीय प्रभाव है, का विवरण तालिका-4.1.18 में दिया गया है।

तालिका-4.1.18: सांविधिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	यू एस डबल्यू सी (2015-16 से 2017-18)	अ. आस्थगित राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण आस्थगित राजस्व व्यय को कम करके बताया गया और ऋण और अग्रिम को ₹ 29 लाख से अधिक बताया गया। ब. लेखों में अवकाश नकदीकरण और महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ को ₹ 22 लाख से अधिक बताया गया।
2	उ. व. वि. नि. (2019-20)	अ. लेखों में छठे और सातवें वेतन आयोग के बकाए का प्रावधान न करने के कारण वर्तमान देनदारियां और प्रावधान कम बताए गए और

<sup>56</sup> उ प नि, उ व वि नि और पेयजल निगम के मामले में, सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि उ रा भ नि के मामले में, सी ए जी ने सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणियां जारी कीं।

<sup>57</sup> उ व वि नि, उ रा भ नि और पेयजल निगम।

<sup>58</sup> उ व वि नि (2019-20), उ रा भ नि (2015-16 to 2017-18) और पेयजल निगम (2019-20 to 2020-21)।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
		<p>लाभ ₹ 1.98 करोड़ अधिक बताया गया।</p> <p>ब. चारदीवारी के निर्माण के लिए देय राशि का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान और साथ ही अचल संपत्तियाँ ₹ 59 लाख से कम बताई गईं ।</p> <p>स. 1983-84 से 2003-04 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रभागीय बिक्री प्रबंधक इकाइयों में देखी गई ₹ 1.42 करोड़ की सामग्री की कमी के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 1.99 करोड़ की सामग्री की कमी के लंबित मामले के परिणामस्वरूप हानि के प्रावधान को ₹ 3.41 करोड़ कम करके बताया गया एवं लाभ को अधिक बताया गया।</p>
3	उत्तराखण्ड पेयजल निगम (2019-20 2020-21)	<p><b>2019-20</b></p> <p>अ. वर्तमान देनदारियों शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न पक्षों /योजनाओं को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को नकारात्मक शेष के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों को ₹ 40.66 करोड़ कम बताया गया।</p> <p>ब. ठेकेदारों को देय राशि का प्रावधान लेखों में नहीं किए जाने के कारण वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ कार्य-प्रगति को ₹ 4.97 करोड़ कम करके दिखाया गया था।</p> <p>स. 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को देय ब्याज के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ हानि को ₹ 44.11 करोड़ कम दिखाया गया था।</p> <p>द. सेंटेंज से आय का लेखा-जोखा न करने के परिणामस्वरूप आय को अधिक और हानि को ₹ 40 लाख कम बताया गया।</p> <p><b>2020-21</b></p> <p>अ. वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत विभिन्न पक्षों/योजनाओं को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को नकारात्मक शेष के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों में ₹ 19.20 करोड़ की कमी बताई गई।</p> <p>ब. ठेकेदारों को देय राशि का प्रावधान लेखों में नहीं किए जाने के कारण वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ कार्य-प्रगति को ₹ 14.71 करोड़ कम करके दिखाया गया था।</p> <p>स. 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को देय ब्याज के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ हानि ₹ 47.26 करोड़ कम बताया गया था।</p> <p>द. सेंटेंज से आय का हिसाब न देने के परिणामस्वरूप आय कम बताई गई और हानि ₹ 1.17 करोड़ अधिक बताया गया।</p>

#### 4.1.14 लेखांकन मानकों/इंड-ए एस के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानक (इंड-ए एस) अधिसूचित किए थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एस पी एस ई द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन काफी हद तक उचित रहा। यह देखा गया कि वैधानिक लेखापरीक्षकों ने दो<sup>59</sup> लेखों पर लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन के 13 उदाहरणों को इंगित किया और सी ए जी ने अपने पूरक लेखापरीक्षा में, एक<sup>60</sup> लेखे पर लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन का एक उदाहरण और इंड-ए एस के मानकों का गैर-अनुपालन का एक<sup>61</sup> उदाहरण को इंगित किया।

#### 4.1.15 प्रबंधन पत्र

एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सी ए जी द्वारा टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सी ए जी द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित एस पी एस ई के प्रबंधन को भी सूचित किया गया था। 01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान, चार एस पी एस ई अर्थात् दे स्म सि लि, पिटकुल, डो सु कं लि और यू जे वी एन एल को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। इन प्रबंधन पत्रों में उन कमियों को रेखांकित किया गया है जिन पर प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता थी।

<sup>59</sup> ग मं वि नि लि और डो सु कं लि।

<sup>60</sup> डो सु कं लि।

<sup>61</sup> यू जे वी एन एल।

#### 4.1.16 निष्कर्ष

- एस पी एस ई के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) से अनुपात पिछले तीन वर्षों में घटती प्रवृत्ति दर्शाता है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एस पी एस ई के घटते योगदान को दर्शाता है।
- सात एस पी एस ई द्वारा अर्जित ₹ 270.24 करोड़ के कुल लाभ में से 98.30 प्रतिशत का योगदान चार एस पी एस ई द्वारा किया गया था। लाभ अर्जित करने वाले दो एस पी एस ई ने वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को लाभांश की घोषणा/ भुगतान किया था, हालांकि, पांच अन्य एस पी एस ई ने कोई लाभांश का भुगतान/घोषणा नहीं की थी।
- छः एस पी एस ई द्वारा 2021-22 के दौरान हुए ₹ 216.35 करोड़ की कुल हानि में से, अकेले यू पी सी एल की हानि ₹ 151.75 करोड़ की थी। सात एस पी एस ई की निवल संपत्ति संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गई है और उनकी निवल संपत्ति (-) ₹ 3,404.00 करोड़ थी। इन सात एस पी एस ई में से पांच एस पी एस ई पर सरकार का ₹ 295.66 करोड़ का ऋण बकाया था।
- एस पी एस ई कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने लेखे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप, 19 सरकारी कंपनियों के 130 वार्षिक लेखे बकाया थे। इसमें दो निष्क्रिय कंपनियों के 57 वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त चार सांविधिक निगमों के 12 वार्षिक लेखे भी बकाया थे।
- एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 180.06 करोड़ और संपत्ति/देनदारियों पर ₹ 280.30 करोड़ था।

#### 4.1.17 अनुशंसाएं

**राज्य सरकार विचार कर सकती है कि:**

- **लाभ अर्जित करने वाले एस पी एस ई द्वारा योगदान किए जाने वाले लाभांश की न्यूनतम दर निर्दिष्ट करते हुए एक लाभांश नीति तैयार करना;**
- **यू पी सी एल को व्यवहार्य बनाने के लिए योजना तैयार करना;**
- **बैंकलॉग को निपटाकर एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।**

## ऊर्जा विभाग

### 4.2 "पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

#### 4.2.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली और ग्रिड संचालन का प्रबंधन पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (कम्पनी) में निहित है। उत्तराखण्ड राज्य में एक एकीकृत और कुशल विद्युत पारेषण तंत्र के लिए योजना बनाने, स्थापित करने, संचालन और रख-रखाव करने के लिए, 27 मई 2004 को पूर्ववर्ती कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी को निगमित किया गया था। कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए), सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी और उत्पादक कम्पनियों से समन्वय कर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई जाती है।

31 मार्च 2022 तक कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 654.88 करोड़ थी, परिचालन से राजस्व ₹ 346.50 करोड़ था और इसने ₹ 43.52 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया। कम्पनी के पास एक पारेषण नेटवर्क, जिसमें 3,373.73 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 8,992.50 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम वी ए) की परिवर्तन क्षमता वाले 48 सब-स्टेशन शामिल थे।

#### 4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबंधन उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) द्वारा नियुक्त निदेशक मण्डल में निहित है, जिसमें एक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और चार निदेशक, परियोजना, संचालन, मानव संसाधन और वित्त शामिल हैं। प्रबंध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

#### 4.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- सब-स्टेशनों/पारेषण लाइनों के निर्माण की योजना वास्तविक, सर्वोत्तम और पर्याप्त थी।
- परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर मितव्ययता, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था।
- परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा करने और पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए मजबूत निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद थे।

#### 4.2.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का मूल्यांकन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मानदण्डों से किया गया है:

- विद्युत अधिनियम, 2003, सी ई ए 2013 की पारेषण योजना मानदण्ड (एम टी पी सी) की नियमावली, भारतीय विद्युत और राज्य ग्रिड कोड।
- उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश और उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी)/ सी ई ए द्वारा जारी मानदण्ड/ दिशानिर्देश।
- कम्पनी की वार्षिक योजनाएँ, परियोजना की रिपोर्ट, परिपत्र, नियमावली और कंपनी की प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट।
- निदेशक मण्डल की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त; और
- अनुबंध प्रदान करने की मानक प्रक्रियाएं और यू ई आर सी में दायर टैरिफ के प्रस्तावों और उसके आदेश।

#### 4.2.5 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

उत्तराखण्ड सरकार की 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कम्पनी की "पारेषण गतिविधियों" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी। प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई लेकिन कोई अनुशंसा नहीं की गई। चूंकि 10 वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है, इसलिए, कम्पनी की परियोजना प्रबंधन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जी ओ यू में शामिल करने की योजना बनाई गई है।

अनुपालन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक चार वर्ष की अवधि को आच्छादित किया गया है। इस अवधि के दौरान, चार सब स्टेशनों और सात पारेषण लाइनों का निर्माण/पूर्ण किया गया था और दो सब स्टेशनों और सात पारेषण लाइनों का काम प्रगति पर था, जिसका विवरण नीचे मानचित्र में दिया गया है:



2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 397.93 करोड़ की लागत वाली सभी 11 पूर्ण परियोजनाएं और ₹ 680.78 करोड़ की लागत से आवंटित नौ चल रही परियोजनाओं को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा नमूना जांच के लिए चुना गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना विंग, पांच संचालन और रखरखाव खण्डों को जिन्हे पूर्ण परियोजनाएं हस्तांतरित की गयी और पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत कम्पनी को अनुदान में प्राप्त धनराशि को भी लेखापरीक्षा में शामिल किया गया।


06 जुलाई 2022 को आयोजित, प्रवेश गोष्ठी के दौरान अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, जी ओ यू और कम्पनी प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई (जुलाई 2022)। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभाग और कम्पनी दोनों को प्रतिवेदित की गयी (फरवरी 2023)। कम्पनी का उत्तर 18 अप्रैल 2023 को प्राप्त हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2023)। 01 मई 2023 को आयोजित बहिर्गमन गोष्ठी में विभाग और कम्पनी प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई। कम्पनी प्रबंधन और बहिर्गमन गोष्ठी में प्राप्त उत्तरों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

#### 4.2.6 पारेषण प्रक्रिया और पारेषण सम्पत्तियां

पारेषण प्रक्रिया के प्रमुख अंग पारेषण लाइनें और सब-स्टेशन<sup>62</sup> हैं जो वितरण लाइसेंसधारी के डाउनस्ट्रीम नेटवर्क की विद्युत की मांग को पूरा करते हैं। पारेषण के


<sup>62</sup> सब-स्टेशन वितरण ग्रिड और पारेषण प्रणालियों के बीच का इंटरफेस होते हैं। सब-स्टेशन पारेषण लाइन में वोल्टेज को वितरण के लिए उपयुक्त स्तर तक कम करते हैं।

दौरान नुकसान को कम करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए, पावर प्लांट में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज (11 के वी) पर उत्पन्न विद्युत को पारेषण से पहले उच्च वोल्टेज पर बढ़ाया जाता है और फिर उपभोक्ताओं को वितरण के लिए कम वोल्टेज पर लाया जाता है। पारेषण प्रक्रिया का सचित्र विवरण नीचे दिया गया है:




अनुमानित भार वृद्धि के अनुसार विद्युत की बढ़ती मांग के कारण नए सब-स्टेशनों के निर्माण, मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि और नई पारेषण लाइनें बिछाने की आवश्यकता होती है। 2018-22 की शुरुआत और अंत में कम्पनी का पारेषण तंत्र चार्ट-4.2.1 और 4.2.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.2.1: सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च तक पारेषण लाइनों की स्थिति



चार्ट-4.2.2: सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च को परिवर्तन क्षमता



यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान, कम्पनी ने 473.11 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण किया और चार<sup>63</sup> नए सब-स्टेशन के निर्माण और मौजूदा सब-स्टेशनों के संवर्द्धन के माध्यम से 820 एम वी ए परिवर्तन क्षमता<sup>64</sup> बढ़ाई।

#### 4.2.7 सिस्टम उपलब्धता

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) विनियमन 2018 के अनुसार, कम्पनी वार्षिक पारेषण शुल्क की पूरी वसूली के लिए तभी हकदार है, जब वह अपनी वैकल्पिक चालू प्रणाली के लिए 98 प्रतिशत की लक्षित उपलब्धता हासिल कर लेती है और 98 प्रतिशत से कम की उपलब्धता के मामले में वार्षिक पारेषण शुल्क की वसूली आनुपातिक आधार पर उस सीमा तक कम हो जाती है। कम्पनी ने 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान लक्ष्य<sup>65</sup> हासिल किए थे और सिस्टम उपलब्धता क्रमशः 99.15, 99.23, 99.56 और 99.55 प्रतिशत थी।

#### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 4.2.8 पारेषण प्रणाली हेतु योजना क्षमता मूल्यांकन - आवश्यकता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करना

पारेषण प्रणाली में सुधार और सुदृढीकरण की आवश्यकता का आकलन कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), यू जे वी एन एल और स्वतंत्र

<sup>63</sup> 33/220 के वी जी आई एस सब-स्टेशन हर्वाला, देहरादून, 220/132/33 के वी सब-स्टेशन पिरानकलियर, रूड़की, 132/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन बागेश्वर और 220/33 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर, काशीपुर।

<sup>64</sup> परिवर्तन क्षमता कंपनी के सब-स्टेशनों पर सभी ट्रांसफार्मरों की कुल क्षमता है।

<sup>65</sup> यू ई आर सी टैरिफ आदेशों के अनुसार।

विद्युत उत्पादकों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

कम्पनी के पास पारेषण परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के लिए कोई परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली नहीं था, जैसे कि लाइनों और भूमि की आवश्यकता के लिए मार्ग, स्थलाकृति, सर्वेक्षण, सामग्री की आवश्यकता, निर्माण का प्रकार इत्यादि सबस्टेशनों के लिए स्विचयार्ड के सिविल कार्य और निर्माण कार्य इत्यादि किसी भी निर्धारित नीति/प्रक्रिया के अभाव के कारण विभिन्न परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में तदर्थ निर्णय लेना पड़ता है, जिसके कारण सबस्टेशनों और सम्बन्धित लाइनों की स्थापना के समय में अन्तर होता है।

बहिर्गमन गोष्ठी में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया मई) 2023) कि वे जल्द से जल्द अपनी परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली तैयार करेंगे।

#### **4.2.8.1 परियोजनाओं की स्वीकृति**

परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली (एम टी पी सी) 2013 के अनुसार 'पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बाधाओं की पहचान करने और नई परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए समग्र रूप से पारेषण प्रणाली के भार प्रवाह (लोड फ्लो) का अध्ययन नियमित आधार पर किया जाना चाहिए'।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा दिसंबर 2020 तक समग्र रूप से पारेषण प्रणाली का कोई नियमित अध्ययन नहीं किया गया था। कम्पनी केवल प्रोजेक्ट के अनुसार भार प्रवाह का अध्ययन कर रही थी। आगे यह पाया गया कि कम्पनी ने जनवरी 2021 में पहली बार समग्र रूप से पारेषण प्रणाली का विस्तृत भार प्रवाह अध्ययन किया। अध्ययन के आधार पर दिसंबर 2021 में निदेशक मण्डल द्वारा 10 पारेषण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी।

नियमित भार प्रवाह अध्ययन नहीं करने के कारण पायी गयी कमियों और पारेषण प्रणाली में बाधाओं तथा बाध्यताओं पर आगामी प्रस्तर में चर्चा की गई है।

#### **4.2.8.2 सी ई ए के एम टी पी सी, 2013 के मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया**

एम टी पी सी, 2013 की आवश्यकता के अनुसार जब मौजूदा सब-स्टेशन की क्षमता 132 के वी सब-स्टेशन के लिए 150 एम वी ए, 220 के वी सब-स्टेशन के लिए 320 एम वी ए से अधिक हो जाए तो नए सब स्टेशन की योजना बनाने की संभावना तलाशने का प्रयास किया जाना चाहिए बजाय कि मौजूदा सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर

क्षमता जोड़ने के। इसके अतिरिक्त सब-स्टेशन में किसी भी ट्रांसफार्मर पर निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक भार नहीं होना चाहिए। कम्पनी ने 132 के वी सब-स्टेशन के लिए 120 एम वी ए का मानक अपनाया था। इसके अतिरिक्त, इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मरों के आकार और संख्या की योजना इस तरह से बनाई जाए कि किसी एक इकाई के खराब होने से शेष इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मरों या अंतर्निहित सिस्टम (एन-1 आकस्मिकता) पर भार न पड़े।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 48 सब-स्टेशन में से,

- छः सब-स्टेशनों (132 के वी के पांच सब-स्टेशनों<sup>66</sup> और 220 के वी का एक सब-स्टेशन<sup>67</sup> (ने क्रमशः 120 एम वी ए और 320 एम वी ए की अपनी स्थापित क्षमता समाप्त कर ली थी (परिशिष्ट-4.2.1)। 2018-22 की अवधि के दौरान, इन सब-स्टेशनों में स्थापित ट्रांसफार्मर गंभीर रूप से अतिभारित थे (निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत और उससे अधिक उपयोग) और एम टी पी सी के प्रावधान के अनुसार एन-1 आकस्मिकता मानदण्ड को पूरा नहीं कर रहे थे। हालाँकि, जहां स्थापित क्षमता समाप्त हो गई थी, वहां नए सब-स्टेशन के निर्माण की योजना, योजना चरण (दिसंबर 2022) में थी।
- नौ सब-स्टेशन<sup>68</sup> अतिभारित नहीं थे लेकिन एम टी पी सी के प्रावधान के अनुसार एन-1 आकस्मिकता मानदण्ड को पूरा नहीं कर रहे थे। किसी भी एक ट्रांसफार्मर के खराब होने की स्थिति में, शेष ट्रांसफार्मर भार को पूरा लेने में सक्षम नहीं होंगे। कम्पनी ने सब-स्टेशनों की स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये (परिशिष्ट-4.2.2)।

इस प्रकार, अतिरिक्त सब-स्टेशनों की योजना में देरी और एन-1 आकस्मिकता मानदण्डों को पूरा नहीं करने के कारण सब-स्टेशनों के ट्रांसफार्मरों/उपकरणों को नुकसान हो सकता है, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ग्रिड विफल हो सकता है।

कम्पनी प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल 2023) कि उत्तराखण्ड पारेषण सुदृढीकरण और वितरण सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न

<sup>66</sup> 132 के वी सब-स्टेशन ज्वालापुर, भगवानपुर, बाजपुर, लक्सर और माजरा देहरादून।

<sup>67</sup> 220 के वी सब-स्टेशन रुड़की।

<sup>68</sup> 132 के वी सब-स्टेशन पुरुकुल, बिंदाल, श्रीनगर, मैंगलोर, चुडियाला, रामनगर, अल्मोडा, पिथौरागढ़, और 400 के वी सब-स्टेशन काशीपुर।

क्षमता के 10 नए सब-स्टेशनों का प्रस्ताव किया गया है जो मौजूदा सब-स्टेशनों पर एन-1 के अनुरूप भार को कम करके राहत प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का भी प्रस्ताव किया जा रहा है, जो मौजूदा सब-स्टेशनों को राहत प्रदान करेगी एवं एन -1 अनुरूप बनायेगी। हालाँकि, तथ्य यह है कि सभी नए सब-स्टेशनों की योजना देर से बनाई गई थी और अभी भी (दिसंबर 2022) प्रस्ताव के चरण में है, यद्यपि सभी छः सब-स्टेशन, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था, 2018-22 की अवधि के दौरान गंभीर रूप से अतिभारित थे।

#### 4.2.8.3 220 के वी रूडकीपुहाना लाइन- का अतिभारित होना

एम टी पी सी के अनुसार एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीड्न्फोर्ड्स (ए सी एस आर) ज़ेबरा कंडक्टर की थर्मल लोडिंग सीमा<sup>69</sup> 45° सेल्सियस पर 703 एम्पियर है।

रूडकी पुहाना-220 के वी एकल सर्किट लाइन में ए सी एस आर ज़ेबरा कंडक्टर था। यह पाया गया कि पिछले चार वर्षों के दौरान उक्त लाइन पर शिखर भार सितंबर 2018, मई 2019, सितंबर 2020 और सितंबर 2021 में क्रमशः 700, 721, 709 और 632 एम्पियर था जो पूरी तरह से भारित थी। यह लाइन एम टी पी सी, के एन-1 आकस्मिक प्रावधान को भी पूरा नहीं कर रही थी (एकल सर्किट लाइन होने के कारण) जिससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय आपूर्ति भी प्रभावित हुई। तथ्यों की पुष्टि कम्पनी के पारेषण सिस्टम पर भार प्रवाह अध्ययन की रिपोर्ट (जनवरी 2021) और कम्पनी में बाधाओं और बाध्यताओं पर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एस एल डी सी) की रिपोर्ट (2016 से 2022) से हुई, जिसमें कहा गया था कि रूडकी-पुहाना लाइन पूरी तरह से भारित है और एन-1 अनुरूप नहीं है।

कम्पनी प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2023) कि कम्पनी ने लाइन पर भार कम करने के लिए लंदौरा में 400 के वी सब-स्टेशन और मेंगलोर में 220 के वी सब-स्टेशन के निर्माण की योजना बनाई थी। इसमें आगे कहा गया है कि 220 के वी रूडकी-पुहाना लाइन पर शिखर भार 2019-20 में 721 एम्पियर था, जबकि इसकी पूर्ण भार क्षमता 800 एम्पियर है। पूर्ण भार क्षमता के संबंध में उत्तर उचित नहीं है क्योंकि

<sup>69</sup> थर्मल लोडिंग लिमिट (टी एल एल) ऊर्जावान कंडक्टरों द्वारा प्राप्त तापमान को सीमित करती है और लाइनों की शिथिलता और तन्य शक्ति के नुकसान को रोकती है। कंडक्टर का टी एल एल लाइनों के अधिकतम विद्युत प्रवाह को सीमित करता है।

एम टी पी सी के अनुसार ए सी एस आर ज़ेबरा कंडक्टर की पूर्ण भार क्षमता 800 एम्पियर के बजाय 703 एम्पियर होनी चाहिए।

#### 4.2.8.4 खराब योजना के कारण परियोजना का केन्द्रीय क्षेत्र को हस्तांतरण

कम्पनी ने राज्य में आगामी जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए 400 के वी डबल सर्किट (डी/सी) श्रीनगर-काशीपुर लाइन के निर्माण की योजना बनाई (सितंबर 2005) और डी पी आर के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 838.10 करोड़ थी। लाइन के प्रारम्भिक मार्ग सर्वेक्षण के आधार पर कम्पनी ने निविदा आमंत्रित की (दिसंबर 2008) लेकिन टैरिफ की वसूली (सी ई आर सी/ यू ई आर सी) सुनिश्चित नहीं होने के कारण अनुबंध नहीं हो सका। सी ई आर सी ने 31 जनवरी 2013 को उक्त परियोजना को डीमड इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम घोषित किया था। तदनुसार, दिसंबर 2013 में ठेकेदार के साथ एक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठेकेदार ने काम शुरू<sup>70</sup> नहीं किया और परियोजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 में 150 मिलियन डॉलर का एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) अनुदान/ऋण रद्द कर दिया गया और ₹ 2.28 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क की परिहार्य देनदारी हुई। इस प्रकरण को सी ए जी के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.8 में उजागर किया गया था। ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण कम्पनी ने ठेकेदार की ₹ 106.13 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर ली (जून 2017) और अनुबंध समाप्त कर दिया (नवंबर 2017)।

इसके बाद, लाइन को फिर से डिजाइन किया गया और इसका नाम बदलकर खंडूखाल-रामपुरा कर दिया गया और मई 2018 में ए डी बी फंडिंग के अंतर्गत ₹ 1,099.40 करोड़ की एक नई डी पी आर स्वीकार की गई। डी पी आर के अनुसार, पारेषण लाइन की अनुमानित अवधि 30 वर्ष के दौरान, वार्षिक शुद्ध वित्तीय लाभ ₹ 42.00 करोड़ से ₹ 99.61 करोड़ तक की परिकल्पना की गई थी। कम्पनी ने मार्च 2019 में दो पैकेजों में निविदायें आमंत्रित कीं। एल-1 निविदाकारों (प्रत्येक पैकेज के लिए एक) द्वारा उद्धृत दरें अनुमानित लागत से क्रमशः 14.90 प्रतिशत और 16.04 प्रतिशत अधिक थीं। हालाँकि ए डी बी ने एल-1 बोलीदाता को काम सौंपने की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन कम्पनी ने ए डी बी से बार-बार अनुरोध किया

<sup>70</sup> कुशल जनशक्ति तैनात नहीं की गई, ठेकेदार मार्ग सर्वेक्षण, टावर का स्थान और उचित टावर शेड्यूल की समीक्षा करने में विफल रहा और साइट कार्यालयों की स्थापना नहीं की गई इत्यादि।

कि वह उसे विस्तृत लागत विश्लेषण आमंत्रित करने और एल-1 निविदाकारों के साथ बातचीत करने की अनुमति दे। उक्त परियोजना के महत्व को देखते हुए, समय पर पूरा करने तथा ऐसे महत्वपूर्ण नेटवर्क जो 400 के वी नेटवर्क की रीढ़ बनने जा रहा था, को ए डी बी ने सहमति नहीं दी। वित्तीय बोली मूल्यांकन रिपोर्ट को ए डी बी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बावजूद जून 2020 में कम्पनी द्वारा निविदा को रद्द कर दिया गया था, जबकि ए डी बी ने कम्पनी को एल-1 निविदाकारों के साथ अनुबंध करने के लिए सूचित किया था। अंततः, निदेशक मण्डल ने परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया (दिसंबर 2020) क्योंकि यह हाइड्रो परियोजना की चालू होने की निर्धारित तिथि के साथ लक्षित समय सीमा हासिल करने में सक्षम नहीं थी।

कम्पनी प्रबन्धन ने कहा (अप्रैल 2023) कि पारेषण लाइन के निर्माण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र को सौंप दिया गया था और कार्य पी एफ सी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा डेवलपर को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी बी सी बी) के माध्यम से सौंपा गया था और डेवलपर को जेनरेटर के स्थापना करने के कार्यक्रम के अनुरूप लाइन स्थापित करनी होगी। उत्तर उचित नहीं था क्योंकि ए डी बी द्वारा कार्य सौंपने की मंजूरी दिए जाने के बाद भी कम्पनी कार्य निर्गत नहीं कर सकी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्पनी ने डी पी आर में परिकल्पित वार्षिक शुद्ध वित्तीय लाभ अर्जित करने का अवसर खो दिया।

#### **4.2.8.5 सब-स्टेशनो और उससे जुड़ी लाइनों के निर्माण की योजना और कार्यान्वयन में कमी**

एम टी पी सी के पैरा 8.2 में कहा गया है कि पारेषण के तत्वों को चालू करने की अवधारणा में आम तौर पर तीन से पांच वर्ष लगते हैं; कैपेसिटर, रिएक्टर, ट्रांसफार्मर आदि के संवर्द्धन के लिए लगभग तीन वर्ष और नई पारेषण लाइनों या सब-स्टेशनों के लिए लगभग चार से पांच वर्ष। इसलिए, पारेषण योजनाओं को सुदृढ करने के लिए प्रणाली का अध्ययन तीन से पाँच वर्ष की समय सीमा के भीतर किया जा सकता है।

पिरानकलियर में मौजूदा सब-स्टेशन और उससे जुड़ी लाइन के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने उक्त सब-स्टेशन और उसकी लाइनों की योजना और निर्माण में धीरे-धीरे तदर्थ दृष्टिकोण अपनाया और क्षेत्र में/ लम्बी अवधि से बढ़ती मांग को समझने में विफल रही जैसा कि एम टी पी सी में निर्धारित है।

पुनः यह पाया गया कि:

- बढ़ती मांग को पूरा करने और मौजूदा सब-स्टेशनो भगवानपुर और रुड़की को राहत प्रदान करने के लिए, कम्पनी ने अक्टूबर 2014 में सब स्टेशन के निर्माण और फरवरी 2016 में लाइन के निर्माण का अनुबंध क्रमशः ₹ 29.90 करोड़ और ₹ 5.92 करोड़ में दिया। सब स्टेशन और लाइन का काम सितंबर 2018 में पूरा हुआ।
- कम्पनी ने छः महीने<sup>71</sup> के भीतर मार्च 2015 में सब स्टेशन के विस्तार<sup>72</sup> की योजना बनाई और उसे स्वीकृति प्रदान की तथा ₹ 6.01 करोड़ की लागत वाली पुहाना-पिरानकलियर लाइन का काम सौंप दिया (दिसंबर 2015)।
- भगवानपुर और चुड़ियाला क्षेत्र में विद्युत की विश्वसनीयता में सुधार, बढ़ते भार मांग को पूरा करने और एन-1 आकस्मिकता मानक को पूरा करने के लिए नवंबर 2016 में ₹ 1.64 करोड़ की लागत से पुहाना-पिरानकलियर लाइन के दूसरे सर्किट को लाइन जोड़ने तथा बे<sup>73</sup> का निर्माण करने के लिए सब स्टेशन में भूमि की उपलब्धता के बिना फिर से योजना बनाई गई थी।

पुहाना-पिरानकलियर लाइन का काम सितंबर 2020 में पूरा हो गया लेकिन ₹ 1.64 करोड़ की लागत से निर्मित दूसरे सर्किट को जोड़ा नहीं जा सका। इस प्रकार, खराब योजना के कारण सितंबर 2020 से ₹ 1.64 करोड़ का निवेश अवरुद्ध रहा। इसके अतिरिक्त, उक्त सब-स्टेशन 220/132 स्तर पर एन-1 आवश्यकता के अनुरूप भी नहीं था क्योंकि आपूर्ति के लिए यह 220 के वी पुहाना- पिरानकलियर लाइन के सिंगल सर्किट पर निर्भर करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि अगले 18 महीनों के भीतर निष्क्रिय लाइन को जोड़ने के लिए सब-स्टेशन में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

<sup>71</sup> शुरुआत में अक्टूबर 2014 में सब-स्टेशन के निर्माण का अनुबंध किया गया।

<sup>72</sup> 2x100 एम वी ए, 220/132 के वी ट्रांसफार्मर का संस्थापन तथा डबल सर्किट टॉवर पर 220 के वी सिंगल सर्किट पुहाना-पिरानकलियर का निर्माण।

<sup>73</sup> दोनों लाइनों (एल आई एल ओ और पुहाना-पिरानकलियर लाइन) के समापन (सब-स्टेशन से कनेक्शन) के लिए, सब-स्टेशन पर 220 के वी के चार बे की आवश्यकता थी, जबकि सब-स्टेशन में केवल तीन बे के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध थी।

### अनुशंसाएँ:

कम्पनी को विचार कर सकती है कि:

- परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली तैयार करे और लागू करे और
- भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमित समय पर भार प्रवाह अध्ययन करके पारेषण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक योजना बनाए।

#### 4.2.9 पारेषण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन

पारेषण परियोजना में अवधारणा से लेकर शुरू होने तक की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। एक पारेषण परियोजना में प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

- (i) परियोजना निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन चरण, तथा
- (ii) परियोजना निष्पादन चरण।

भारत सरकार द्वारा गठित पारेषण परियोजनाओं पर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं का अनुपालन नहीं करने से सम्बन्धित मामले पैरा 9.1 (बी) और 9.3 में विस्तृत हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पारेषण परियोजनाओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था। (फरवरी 2005)। टास्क फोर्स ने ट्रांसमिशन सिस्टम को पूरा करने में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाइयों का सुझाव दिया और अनुशंसा की (जुलाई 2005)।

- परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण के पहले/ साथ-साथ सर्वेक्षण, डिजाइन और परीक्षण, वन और अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, निविदा गतिविधियों आदि जैसी विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दे और पारेषण लाइन परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन के बाद निर्माण गतिविधियों को शुरू करे।;
- टावर निर्माण के डिजाइनों का मानकीकरण करें ताकि परियोजना निष्पादन में 6-12 महीने बचाए जा सकें।

#### 4.2.9.1 परियोजना कार्यान्वयन

नए सब-स्टेशन की योजना तथा निष्पादन का कार्य, अपनी संबद्ध पारेषण लाइन के साथ-साथ किया जाना चाहिए। सब-स्टेशन और इसकी संबद्ध पारेषण लाइन के पूरा होने में समय अंतराल की स्थिति में पूर्ण सब-स्टेशन या पारेषण लाइन तब तक अप्रयुक्त रहेगी जब तक कि संबन्धित पारेषण लाइन या सब स्टेशन का कार्य पूर्ण न हो जाए। सब-स्टेशनो और सम्बन्धित लाइनों दोनों को शुरू किये बिना, इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) और मूल्यहास के लाभों का दावा टैरिफ के माध्यम से नहीं

किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और बेहतर विद्युत आपूर्ति का लाभ नहीं मिलता है। लेखापरीक्षा के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन में पायी गयी कमिया तालिका संख्या-4.2.1 में वर्णित है।

तालिका-4.2.1: लेखापरीक्षा के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन में पायी गयी कमिया

क्र.स.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
अ	<b>220/33 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर, रुद्रपुर और सम्बन्धित लाइन</b>		
	<p>220 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर की संबद्ध लाइन (लीलो) का काम 14 नवंबर 2017 को पूरा होने की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 5.70 करोड़ में आवंटित किया गया (15 नवंबर 2016)।</p> <p>अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार को स्वीकृति पत्र (एल ओ ए) जारी होने के 30 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी (पी बी जी) जमा करना आवश्यक था।</p>	<p>अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, कम्पनी ने डिमांड ड्राफ्ट (डी डी) के रूप में आठ महीने की देरी के बाद ₹ 57.50 लाख का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पी बी जी) स्वीकार किया।</p> <p>ठेकेदार ने केवल टावरों की नींव का काम पूरा किया और अगस्त 2019 तक एक भी टावर खड़ा नहीं किया।</p> <p>कम्पनी ने अनुबंध समाप्त कर दिया (अगस्त 2019) और लाइन का शेष कार्य नवंबर 2019 में एल 1 दर पर एल 3 बोली लगाने वाले को दे दिया गया।</p> <p>मार्च 2019 में सब-स्टेशन के पूरा होने से 24 महीने की देरी के बाद लाइन पूरी/ ऊर्जावान (31 मार्च 2021) हो गई।</p> <p>ठेकेदार समय पर पी बी जी जमा करने में विफल रहने के बावजूद कम्पनी ने अनुबंध समाप्त नहीं किया।</p>	<p>लाइन के पूरा होने में देरी के कारण, सब-स्टेशन 24 महीनों तक अप्रयुक्त रहा जिस से कम्पनी को उस अवधि के दौरान ₹ 15.66 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ, जैसा कि डी पी आर में परिकल्पित किया गया था।</p> <p>इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से भी वंचित थे।</p>
<p>कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि सब-स्टेशन 07 मार्च 2019 को पूरा हो गया था लेकिन ठेकेदार 07 मार्च 2019 तक लाइन का काम पूरा नहीं कर सका और इसलिए, अनुबंध अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया था। शेष कार्य नवंबर 2019 में सौंपा गया था, लेकिन मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण कार्य मार्च 2021 में पूरा हुआ।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को एल-1 बोलीदाता का अनुबंध बहुत पहले समाप्त कर देना चाहिए था क्योंकि वह निर्धारित अवधि अर्थात 15 दिसंबर 2016 तक पी बी जी जमा करने में विफल रहा था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध समाप्त करने में लंबा समय (20 महीने) लिया, जिससे परियोजना में देरी हुई।</p>			

क्र.स.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
ब	<b>132/33 के वी सब-स्टेशन पदारथा, हरिद्वार और सम्बन्धित लाइन</b>		
	पदारथा में 132/33 के वी सब-स्टेशन के निर्माण, और गंगा नदी में पांच वेल फाउंडेशन के निर्माण सहित इसकी संबद्ध लीलो लाइन की डी पी आर, को कम्पनी द्वारा अनुमोदित (नवंबर 2016) किया गया था। जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 के दौरान सब-स्टेशन, लाइन और वेल फाउंडेशन के कार्य आवंटित किए गए।	लाइन वन क्षेत्र से होकर जा रही थी, फिर भी कम्पनी ने वन विभाग की स्वीकृति के लिए देर से आवेदन किया (अगस्त 2018), जो अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुई। इस प्रकार, अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्रवाई करने में टास्क फोर्स की अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया।	वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन जमा करने में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना के स्थापित होने में 16 महीने की देरी हुई क्योंकि सब-स्टेशन अप्रैल 2021 में पूरा हो गया था और सम्बन्धित लाइन 16 अगस्त 2022 को पूरी हुई थी।
बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि भविष्य में टास्क फोर्स की अनुशंसा का पालन किया जाएगा।			
स	<b>220/33 के वी गैस इंसुलेटर सब-स्टेशन (जी आई एस) बरम, जौलजीवी पिथौरागढ़ और सम्बन्धित लाइन</b>		
	स्थायी समिति <sup>74</sup> ने नवंबर 2014 और जुलाई 2015 में हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित को अंतिम रूप दिया: <b>चरण I</b> - बरम, जौलजीवी में प्रस्तावित 220 के वी जी आई एस के निर्माण के लिए 220 के वी धौलीगंगा-पिथौरागढ़ लाइन के लीलो का निर्माण। <b>चरण II</b> - उक्त सब-स्टेशन को 220 के वी डी सी लाइन (कम्पनी के दायरे में लाइन और सब-स्टेशन) के माध्यम से जौलजीवी 400/220 के वी सब-स्टेशन (पी जी सी आई एल) से जोड़ा जाएगा और मौजूदा लिंक (लीलो) का 220 के वी सब-स्टेशन जौलजीवी (पिटकुल) से संपर्क अलग हो जाएगा। जौलजीवी में सबस्टेशन और लीलो लाइन का निर्माण कार्य (39 टावरों का निर्माण) क्रमशः 15 नवंबर	कम्पनी ने तीन वर्ष से अधिक की देरी के बाद मार्च 2022 में सी ई ए (सितंबर 2018) के निर्देशों के बारे में निदेशक मण्डल को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने दिसंबर 2022 तक परिवर्तित मार्ग (27 टावर से) के लिए वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया था, जिससे परियोजना के पूरा होने में और देरी हुई। चूंकि लीलो लाइन एक अंतरिम व्यवस्था थी और सब-स्टेशन बरम को अंततः सबस्टेशन जौलजीवी (पी जी सी आई एल) से जोड़ा जाना था, कम्पनी को 400 के वी पी जी सी आई एल जौलजीवी सब-स्टेशन के लिए भूमि निर्धारित करने (28 मार्च 2017) के	₹ 70.77 करोड़ की लागत से निर्मित सब स्टेशन दिसंबर 2021 से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था क्योंकि सम्बन्धित लाइन (मार्च 2023) तक पूरी नहीं हुई थी। कम्पनी ने सब-स्टेशन (दिसंबर 2021 से सितंबर 2022) की लागत पर ₹ 3.25 करोड़ निर्माणाधीन अवधि के लिए ब्याज आई डी सी सम्मिलित किया। इस प्रकार, कम्पनी यू ई आर सी द्वारा टैरिफ के माध्यम से राजस्व अर्जन से

<sup>74</sup> उत्तरी क्षेत्र की विद्युत प्रणाली योजना

क्र.स.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
	<p>2016 (₹ 55.91 करोड़) और 14 अक्टूबर 2015 (₹ 12.66 करोड़) में सौंपा गया था।</p> <p>कम्पनी ने लाइन के लिए वन विभाग की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2016) जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2020) किया गया।</p> <p>सी ई ए ने स्थायी समिति में कम्पनी को निर्देश दिया (सितंबर 2018) कि वह चरण I के बजाय चरण II में जाए क्योंकि लीलो एक अंतरिम व्यवस्था थी।</p>	<p>बाद परिवर्तित मार्ग की वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन करना चाहिए था।</p> <p>कम्पनी ने चरण I के अंतर्गत लीलो लाइन के निर्माण के लिए अनुबंध (13 अप्रैल 2023) को समाप्त कर दिया क्योंकि ठेकेदार ने केवल टावरों की नींव का काम पूरा किया था और कोई टावर खड़ा नहीं किया गया था।</p>	<p>वंचित रह गई तथा उपभोक्ता भी विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से वंचित रहे।</p>
<p>बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि लाइन का काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा।</p>			
<b>द.</b>	<b>132/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन लोहाघाट, चंपावत और सम्बन्धित लाइन</b>		
	<p>कम्पनी ने लोहाघाट में 132/33 के वी एयर इंसुलेटेड सब-स्टेशन (ए आई एस) और सम्बन्धित लाइन को ₹103.76 करोड़ की स्वीकृति दी, जिसे दिसंबर 2012 में यू ई आर सी द्वारा अनुमोदित किया गया था।</p> <p>भूमि की कमी के कारण, जून 2013 में ए आई एस के बजाय जी आई एस रखने का निर्णय लिया गया। सब-स्टेशन की संशोधित डी पी आर ₹ 93.16 करोड़ की लागत पर तैयार की गई थी, जिसे जनवरी 2015 में यू ई आर सी द्वारा अनुमोदित किया गया था।</p> <p>सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कोई काम नहीं दिया गया था, हालांकि, लोहाघाट में 132/33 के वी सब-स्टेशन की सम्बन्धित लाइन का काम ₹ 40.90 करोड़ की राशि में ठेकेदार<sup>75</sup> को एल ओ ए की तारीख</p>	<p>यू ई आर सी द्वारा निवेश अनुमोदन (जनवरी 2015) से 23 महीने की देरी के बाद सब-स्टेशन के निर्माण के लिए ई-निविदा जारी की गई (दिसंबर 2016)।</p> <p>कम्पनी निविदा दस्तावेजों में टी क्यू आर और एफ क्यू आर तथा जी एस टी अधिनियम (जुलाई 2017) की शुरुआत के प्रभाव के संबंध में बोली-पूर्व सम्मेलन में बोलीदाता द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकी और इसलिए निविदा को रद्द कर दिया गया (अगस्त 2017)।</p> <p>वही प्रक्रिया दोहराई गई और बार-बार<sup>76</sup> निविदाएं रद्द की गईं और अंततः ए डी बी फंडिंग के अंतर्गत परियोजना को</p>	<p>₹ 72.65 करोड़ की लागत से निर्मित लाइन नवंबर 2022 से बेकार/अप्रयुक्त पड़ी हुई थी क्योंकि कम्पनी द्वारा आतिथि तक (मार्च 2023) सम्बन्धित सब-स्टेशन का काम नहीं सौंपा गया था। इस प्रकार, कम्पनी टैरिफ के माध्यम से राजस्व अर्जन से वंचित रह गई तथा उपभोक्ता विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से वंचित रहे।</p>

<sup>75</sup> मेसर्स ट्रांसग्लोबल पावर लिमिटेड।

<sup>76</sup> एन आई टी दिसंबर 2016, जुलाई 2018 और मई 2020 में जारी किया गया और क्रमशः अगस्त 2017, जनवरी 2020 और दिसंबर 2020 में समाप्त कर दिया गया।

क्र.सं.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
	से 24 महीने में पूरा होने की निर्धारित तिथि (15 अप्रैल 2015) के साथ सौंपा गया था।	वित्तपोषित करने का निर्णय लिया गया। नवंबर 2022 तक लाइन का काम लगभग पूरा (भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत) हो गया था। मार्च 2023 तक सब-स्टेशन के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी।	

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि 132/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन लोहाघाट के निर्माण के लिए ई-निविदा जारी की गई थी, लेकिन एस बी डी में जी एस टी, संयुक्त उद्यम क्लॉज के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के कारण सब-स्टेशन का टेंडर रद्द कर दिया गया था। तदनुसार, निविदा शर्तों की समीक्षा की गई और एस बी डी में संशोधन को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। एस बी डी में संशोधन के बाद, निविदा फिर से जारी की गई और तीन बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां जमा कीं। हालाँकि, सक्षम अधिकारियों ने निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया क्योंकि उपरोक्त कार्य ए डी बी के वित्तपोषण के अंतर्गत प्रस्तावित था। तथापि कम्पनी को प्रारंभिक निविदा जारी करने में 23 महीने लग गए और समय पर बोलीदाताओं के प्रश्नों को हल करने में विफल रही जिसके कारण निविदा को बार-बार रद्द कर दिया गया।

#### 4.2.9.2 डी पी आर के अनुमोदन के बाद कार्य आवंटित करने में विफलता

कम्पनी ने क्रमशः यू पी सी एल एवं यू जे वी एन एल औद्योगिक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति और लघु जलविद्युत परियोजना मध्दमहेश्वर से विद्युत निकासी के लिए के अनुरोध पर सम्बन्धित लाइनों के साथ सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए डी पी आर तैयार की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी देरी हुई जैसा कि तालिका संख्या-4.2.2 में बताया गया है:

तालिका संख्या-4.2.2: परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी

क्र.सं.	परियोजना का नाम निदेशक मण्डल द्वारा डी पी आर की स्वीकृति	यू ई आर सी द्वारा निवेश को स्वीकृति	गलती का प्रकार	प्रभाव
अ.	220/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन सेलाकुई और सम्बन्धित लाइन			
	अनुमानित मूल्य ₹ 164.46 करोड़ जो नवंबर 2018 में स्वीकृत हुई।	मार्च 2019	फरवरी 2019 में जारी की गई ई-निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि संभावित बोलीदाताओं द्वारा बोली पूर्व बैठकों में उठाए गए	औद्योगिक उपभोक्ता गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति से वंचित थे क्योंकि अभी तक काम

क्र.सं.	परियोजना का नाम निदेशक मण्डल द्वारा डी पी आर की स्वीकृति	यू ई आर सी द्वारा निवेश को स्वीकृति	गलती का प्रकार	प्रभाव
	दिसंबर 2021 में स्वीकृत संशोधित डी पी आर (ए डी बी द्वारा वित्तपोषित) लागत ₹ 89.67 करोड़।	अप्रैल 2022	टी क्यू आर और एफ क्यू आर से सम्बन्धित मुद्दों को निविदा की कड़ी शर्तों के कारण हल नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप बोलीदाताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया/एकल बोली नहीं आई। निविदा को दिसंबर 2020 में रद्द कर दिया गया था और ए डी बी वित्तपोषण के माध्यम से कार्य को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए संशोधित डी पी आर (दिसंबर 2021) और यू ई आर सी से पुनः स्वीकृति (अप्रैल 2022) प्राप्त की गयी।	आवंटित नहीं किया गया था (मार्च 2023)। कम्पनी ₹ 16.32 करोड़ से लेकर ₹ 8.54 करोड़ वार्षिक वित्तीय लाभ से भी वंचित रही जैसा कि डी पी आर में परिकल्पित है।
<p>कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि कई संभावित बोलीदाताओं ने प्रश्न उठाए और संयुक्त उद्यम क्लॉज में संशोधन करने का अनुरोध किया। तदनुसार, निविदा शर्तों की समीक्षा की गई और 71वीं निदेशक मण्डल बैठक में एस बी डी में संयुक्त उद्यम क्लॉज, टी क्यू आर, एफ क्यू आर में संशोधन को स्वीकृति दी गई। निविदा में बेहतर भागीदारी देखी गई (चार निविदाएं प्राप्त हुईं)। हालाँकि, कम्पनी के सक्षम अधिकारियों ने निविदा को रद्द करने का निर्णय (23 जनवरी 2020) लिया क्योंकि कार्य ए डी बी वित्तपोषण के अंतर्गत प्रस्तावित था। कार्य के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है और जुलाई 2023 तक निविदा दिए जाने की उम्मीद है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एस बी डी के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अंतिम रूप देने में तीन वर्ष से अधिक की देरी हुई थी।</p>				
<b>ब.</b>	<b>220/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन बरमवारी और सम्बन्धित लाइन</b>			
	अनुमानित मूल्य ₹ 237.48 करोड़ जो मई 2018 में स्वीकृत हुई।  दिसंबर 2020 में ₹ 149.70 करोड़	जून 2021	प्रथम डी पी आर (मई 2018) के सापेक्ष निवेश अनुमोदन का प्रस्ताव यू ई आर सी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। सब-स्टेशन के लिए ई-निविदा का भाग-1 22 अक्टूबर 2021 को खोला गया था और भाग-	चूंकि लघु जल विद्युत संयंत्र को मार्च 2023 में चालू किया जाना था, जी आई एस सब-स्टेशन की अनुपस्थिति में विद्युत उत्पादन का नुकसान हो सकता है। इसके

क्र.सं.	परियोजना का नाम निदेशक मण्डल द्वारा डी पी आर की स्वीकृति	यू ई आर सी द्वारा निवेश को स्वीकृति	गलती का प्रकार	प्रभाव
	लागत की संशोधित डी पी आर स्वीकृत (ए डी बी वित्तपोषित)। ।		II की बोली 22 मार्च 2022 को खोली गई थी। एल-1 बोली लगाने वाले का प्रस्ताव 30 मई 2022 तक वैध था, इसलिए कम्पनी ने बोली लगाने वाले से वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया। एल-1 बोलीदाता ने वैधता बढ़ाने से इन्कार कर दिया। तदनुसार, निविदा रद्द कर दी गई। इससे पता चलता है कि निविदा को अंतिम रूप देने में कम्पनी द्वारा असमान्य रूप से लंबा समय लिया गया।	अतिरिक्त, सचिव ऊर्जा (जी ओ यू) ने प्रबंध निदेशक को पत्र में इंगित किया कि कम्पनी को अपनी प्रतिबद्धता पूरी न करने पर दण्डित भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, देरी के परिणामस्वरूप उत्पादक कम्पनी को प्रति वर्ष ₹ 50 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा क्योंकि सब-स्टेशन और सम्बन्धित लाइन के अभाव में एस एच पी से विद्युत की निकासी नहीं की जा सकेगी।
<p>कम्पनी प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अप्रैल 2023) कि मूल्य-निविदा खोलने के बाद काम देने का प्रकरण कम्पनी ने 17 मई 2022 को सक्षम अधिकारियों के विचार के लिए रखा गया था, लेकिन प्रकरण का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका क्योंकि एल-1 बोलीदाता ने बोली की वैधता 30 मई 2022 से आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया। अब, उत्तराखण्ड सरकार ने सब-स्टेशन के निर्माण के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में मैसर्स ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को (15 फरवरी 2023) नामित किया है और कार्य आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।</p>				

#### 4.2.9.3 भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य सौंपना

पारेषण सिस्टम के पूरा होने में तेजी लाने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के टास्क फोर्स (जुलाई 2005) ने परियोजना के मूल्यांकन और अनुमोदन चरण से पहले/समानांतर में विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, डिजाइन और परीक्षण, वन विभाग और अन्य वैधानिक स्वीकृति की प्रक्रिया, निविदा गतिविधियों आदि को शुरू करने और पारेषण लाइन की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अनुशंसा की थी।

220 के वी जाफरपुर सब-स्टेशन और सम्बन्धित लाइन के निर्माण के लिए डी पी आर को जून 2013 में स्वीकृति दी गई थी। चूंकि वन भूमि शामिल थी, कम्पनी ने डी पी आर की स्वीकृति की तारीख से आठ महीने की देरी के बाद वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन किया (मार्च 2014)। भूमि का पट्टा विलेख जनवरी 2017 में निष्पादित किया गया था जिसके कारण निर्धारित समय पर काम शुरू नहीं किया जा सका। ठेकेदार ने ट्रांसफार्मर के मूल्य में ₹ 1.46 करोड़ की मूल्य भिन्नता का दावा किया (अगस्त 2018) जिसका भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया था।

मूल्य भिन्नता के कारण ₹ 1.46 करोड़ की लागत वृद्धि से बचा जा सकता था यदि टास्क फोर्स द्वारा की गई अनुशंसाओं का अनुपालन करते हुए भूमि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गयी होती।

कम्पनी प्रबंधन ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (अप्रैल 2023) कि भविष्य में टास्क फोर्स की अनुशंसाओं का पालन किया जाएगा और अनुबंध करने से पहले सब-स्टेशन के लिए भूमि की वन विभाग की स्वीकृति ली जाएगी।

#### 4.2.9.4 निविदा में अनुपयुक्त तकनीकी योग्यता की आवश्यकता (टी क्यू आर)

कम्पनी ने "नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली के उन्नयन और विभिन्न सब-स्टेशनों के उपकरणों को प्रतिस्थापन" के लिए ई-निविदा जारी की (18 मई 2016)। संयुक्त उद्यम<sup>77</sup> को ₹ 31.17 करोड़ के लिए स्वीकृति पत्र (एल ओ ए) जारी किया गया (22 जुलाई 2016) जिसमें ₹ 28.99 करोड़ की आपूर्ति का हिस्सा और ₹ 2.18 करोड़ के निर्माण का हिस्सा शामिल था। उक्त कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि एल ओ ए की तिथि अर्थात् 21 जनवरी 2017 से छः महीने थी।

निविदा अभिलेख में टी क्यू आर में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया कि "बोली लगाने वाले या उसके संयुक्त उद्यम भागीदार या उसके सहयोगी या उसके निर्माता को पिछले पांच वर्षों में सरकारी उपयोगिताओं/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 132 के वी और उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर के बे और सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए सामग्री का सफलतापूर्वक निर्माण/ आपूर्ति होनी चाहिए तथा ये कार्य संतोषजनक ढंग से होना चाहिए।"

<sup>77</sup> मेसर्स ईशान एंटरप्राइजेज (लीड पार्टनर), मेसर्स सी टी आर मैनुफैक्चरिंग कंपनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स वेन्सन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि दो संयुक्त उद्यम भागीदार केवल निर्माता थे और उनके पास निर्माण/निर्माण कार्य का कोई अनुभव नहीं था, जबकि तीसरा भागीदार टी क्यू आर के किसी भी मानदण्ड को पूरा नहीं करता था। इसके अतिरिक्त, तीसरा साझेदार 2015 में पंजीकृत हुआ था, जिसका अनुभव पांच वर्ष से कम था। इसके बावजूद, संयुक्त उद्यम केवल टी क्यू आर यानी निर्माण/आपूर्ति की शर्त के अनुसार आपूर्ति के आधार पर अनुभव के मानदण्ड पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली में योग्य था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कम्पनी ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि कार्य में निर्माण और आपूर्ति दोनों भाग शामिल हैं और इस शर्त को टी क्यू आर में शामिल नहीं किया गया। टी क्यू आर में निर्माण और आपूर्ति को शामिल करने के बजाय इसमें 132 के वी बे और सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए सामग्री का निर्माण/आपूर्ति शामिल थी। चूंकि संयुक्त उद्यम निर्माण में अनुभवहीनता को अनिवार्य शर्तों के रूप में शामिल किए बिना तकनीकी वाणिज्यिक बोली में योग्य था, इसलिए चार समय विस्तार दिए जाने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी (दिसंबर 2022)।

बहिर्गमन गोष्ठी, कम्पनी प्रबंधन ने बताया कि काम का बड़ा हिस्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए था। इसलिए, बेहतर भागीदारी और प्रतिस्पर्धा के लिए, मूल उपकरण निर्माता की भागीदारी के लिए टी क्यू आर प्रस्तावित किया गया था। अब हमने अपने निविदा के नियमों और शर्तों को तदनुसार बदल दिया है। कम्पनी का उत्तर स्व-व्याख्यात्मक है और लेखापरीक्षा आपत्ति को साबित करता है।

#### **4.2.9.5 अर्थदण्ड की कम कटौती/ अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना**

अर्थदण्ड का अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता को कार्य पूरा करने के लिए दिए गए समय का सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्धारित आपूर्ति अवधि में संविदात्मक निर्दिष्ट तिथि से परे आपूर्ति और निर्माण में होने वाली कोई भी देरी पर प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का आधा प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा कुल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत तक होगी।

यह पाया गया कि कम्पनी ने ठेकेदार की ओर से देरी के कारण ₹ 9.06 करोड़ का अर्थदण्ड कम काटा/ नहीं लगाया, जैसा कि तालिका-4.2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-4.2.3: कम कटौती/ अर्थदण्ड न लगाने का विवरण

क्रम सं.	कार्य का नाम/ निर्गत करने की तिथि और निष्पादित मूल्य	समापन		अर्थदण्ड (₹ करोड़ में)		कम कटौती/ अर्थदण्ड न लगाया जाना (₹ करोड़ में)	ठेकेदार की ओर से देरी के लिए कारण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		अनुसूची और वास्तविक तिथि	विलंब (महीनों में)	लगाए जाने वाले	उगाहना			
1	132 के वी जी आई एस सब-स्टेशन बागेश्वर/ 26 सितंबर 2014  ₹ 47.16 करोड़	25 मार्च 2016 एवं 24 अक्टूबर 2019	43	4.71	शून्य	4.71	दूरस्थ स्थान (2 महीने), पहुंच मार्ग की खोदी गई मिट्टी को डंप करने के लिए जगह की कमी (03 महीने), सामग्री के लिए साइट पर भंडारण स्थान की कमी (1 महीना)।	देरी के कारण संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि निविदा को अन्तिम रूप देने और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए निर्धारित समापन अवधि तय करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था।
2	220 के वी जी आई एस सब-स्टेशन आई आई पी हरवाला, देहरादून/ 16 जून 2015  ₹ 51.19 करोड़	15 दिसंबर 2016 एवं 04 अगस्त 2018	20	5.12	0.77	4.35	220 के वी केबल के हाई वोल्टेज परीक्षण हेतु टर्मिनेशन किट का भारत में उपलब्ध नहीं होना (52 दिन), ठेकेदार द्वारा विक्रेता की स्वीकृति समय पर नहीं लेना (167 दिन) और वर्षा का मौसम (60 दिन)।	देरी के कारण संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि निविदा को अन्तिम रूप देने और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए निर्धारित समापन अवधि तय करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था।
<b>कुल</b>				<b>9.83</b>	<b>0.77</b>	<b>9.06</b>		

इस प्रकार, कम्पनी ने ठेकेदारों की ओर से देरी के बावजूद ₹ 9.06 करोड़ का अर्थदण्ड कम काटा/ नहीं लगाया।

बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि अर्थदण्ड लगाने की समीक्षा की जाएगी।

#### **अनुशंसाएँ:**

**कम्पनी विचार कर सकती है कि:**

- i. परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से बचने के लिए टास्क फोर्स, 2005 की अनुशंसाओं के अनुसार परियोजना निष्पादन के लिए सभी गतिविधियों को परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानांतर शुरू करें;*
- ii. भविष्य में ऐसी देरी को न्यूनतम करने के लिए सब-स्टेशनों के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक समीक्षा तंत्र होना चाहिए; और*
- iii. कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए बिना किसी अस्पष्टता के अनुबंध की शर्तों को तैयार करना और लागू करना चाहिए।*

#### **4.2.10 वित्तीय प्रबंधन**

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 का एक प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। पारेषण परियोजनाओं के निर्माण के लिए, कम्पनी आर ई सी/ पी एफ सी और ए डी बी से परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक ऋण लेती है और परियोजना लागत के शेष 30 प्रतिशत के लिए जी ओ यू से इक्विटी प्राप्त करती है।

वित्तीय प्रबंधन में देखी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है- :

##### **4.2.10.1 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड अनुदान का लाभ उठाने में विफलता**

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पहाड़ी राज्यों को पारेषण सिस्टम सुदृढीकरण कार्य हेतु पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पी एस डी एफ) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान देने की योजना को स्वीकृति दी (जनवरी 2014)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 21 फरवरी 2017 के माध्यम से कहा कि राष्ट्रीय विद्युत नीति में अधिदेशित राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए बी टी) ढांचे पर भी पी एस डी एफ वित्तपोषण के लिए विचार किया जाएगा।

कम्पनी ने ऊर्जा लेखांकन और पारेषण स्तर ऊर्जा ऑडिटिंग के लिए इंटरफ़ेस बिंदुओं पर स्थापित किए जाने वाले ए बी टी मीटरों को ऑनलाइन करने के लिए अंतर्राज्यीय ए बी टी मीटरिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा आमंत्रित की गई (अगस्त 2017)। पी एस डी एफ अनुदान का प्रस्ताव नोडल एजेंसी अर्थात् नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एन एल डी सी) को प्रस्तुत किए बिना ठेकेदार<sup>78</sup> को ₹ 19.47 करोड़ में कार्य आवंटित कर दिया गया (जुलाई 2018)। परियोजना अप्रैल 2022 में पूरी हुई और कम्पनी ने ₹ 0.80 करोड़ का निर्माण के दौरान ब्याज आरोपित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने एन एल डी सी से एक वर्ष से अधिक की अवधि के विलंब के बाद परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया (जनवरी 2020)। हालाँकि, पी एस डी एफ के अंतर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि कार्य शुरू करने से पहले 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के लिए उक्त कार्य का प्रस्ताव<sup>79</sup> एन एल डी सी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। यदि कम्पनी ने उक्त कार्य के लिए 100 प्रतिशत पी एस डी एफ अनुदान प्राप्त करने के लिए 2017 में ही एन एल डी सी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया होता, तो टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं पर ₹ 20.27 करोड़ (₹ 19.47 करोड़ + ₹ 0.80 करोड़) के बोझ से बचा जा सकता था।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि कम्पनी को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि ए बी टी मीटर लगाने का कार्य ऐसे अनुदान के अंतर्गत पात्र था। कम्पनी ने अपने सब-स्टेशनों में ए बी टी मीटर लगाने और डी पी आर तैयार करने की योजना वर्ष 2014 में ही बना ली थी। परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई और राज्य इसके कार्यान्वयन का लाभ उठा रहा है। कम्पनी को कोई नुकसान नहीं हुआ और कम्पनी ने माननीय यू ई आर सी के सभी नियमों का पालन किया है।

कम्पनी प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई 2018 में कम्पनी द्वारा काम सौंपने से पहले ए बी टी मीटरिंग को पी एस डी एफ वित्तपोषण के अंतर्गत रखने के बारे में सूचित किया था

<sup>78</sup> मेसर्स सिक्कोर मीटर्स लिमिटेड।

<sup>79</sup> इसके अलावा, ए पी ट्रांसको ने 06 अप्रैल 2017 को ए बी टी मीटरिंग के लिए योजना प्रस्तुत की थी और इसे 27 जुलाई 2018 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और तेलंगाना ट्रांसको ने भी 11 अक्टूबर 2017 को यही प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(फरवरी 2017) हालांकि कंपनी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जहां तक कम्पनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यह एक तथ्य है, लेकिन टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं पर ₹ 20.27 करोड़ (₹ 19.47 करोड़ + ₹ 0.80 करोड़) का बोझ डाला गया, जिसे टाला जा सकता था।

#### 4.2.10.2 पी एस डी एफ अनुदान की समाप्ति

कम्पनी ने पी एस डी एफ अनुदान की सुरक्षा प्रणाली के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए एन एल डी सी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल 2015)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने इसके लिए ₹ 125.05 करोड़ स्वीकृत किए (मार्च 2016) और नवंबर 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान ₹ 112.08 करोड़ का अनुदान जारी किया।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कम्पनी स्वीकृत 10 कार्यों के मुकाबले केवल नौ कार्य ही निष्पादन के लिए दे सकी। विभिन्न सब-स्टेशनों के लिए बैटरी और बैटरी चार्जर की आपूर्ति तथा निर्माण से सम्बन्धित एक कार्य के लिए ₹ 3.18 करोड़ के अनुमानित मूल्य की निविदा जुलाई 2018 में आमंत्रित की गई थीं, लेकिन एक अयोग्य बोलीदाता ने अपनी अयोग्यता के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए (04 मार्च 2020) निर्देश दिया कि कम्पनी को बोली लगाने वाले का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेना होगा। बोली लगाने वाले ने अपना अभ्यावेदन<sup>80</sup> प्रस्तुत किया (6 मार्च 2020) लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और बाद में जनवरी 2022 में निविदा रद्द कर दी गई। मार्च 2022 में फिर से नई निविदा बुलाई गई उसमें केवल दो बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिसमें से एक बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया गया। कम्पनी ने अंतिम समय विस्तार से पहले उक्त कार्य को पूरा करने में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए (21 नवंबर, 2022) निविदा रद्द करने का निर्णय लिया। इस बीच सी ई ए ने निर्देश दिया (जून 2022) कि कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा और यदि 31 दिसंबर 2022 तक पूरा नहीं किया गया तो परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी। तदनुसार, परियोजना दिसंबर 2022 में बंद हो गई क्योंकि सी ई ए द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया गया था।

<sup>80</sup> बोलीदाता ने अपने अभ्यावेदन में कहा कि निविदा दस्तावेज़ के अनुसार, प्रत्येक बोलीदाता को 20 अनुभव/कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने थे, जबकि उसने 22 अनुभव/कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। इसलिए, यदि सी जी पी एल द्वारा जारी प्रमाणपत्र को नज़र अंदाज़ भी कर दिया जाए, तो भी बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य था और उसकी तकनीकी बोली को अस्वीकार करना गलत था।

इस प्रकार, अयोग्य बोलीदाता के प्रकरण को हल करने में निर्णय लेने की देरी (21 महीने) के परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण होने से पूर्व बंद हो गई और ₹ 3.18 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त करने और बुनियादी ढांचा बनाने का अवसर खो दिया गया।

कम्पनी प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2023) कि अंतिम समय विस्तार से पहले उक्त कार्य को पूरा करने में अनिश्चितता के कारण, दूसरी निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया (21 नवंबर 2022)। हालाँकि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दो सप्ताह के भीतर बोलीदाता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं लेने के प्रकरण पर उत्तर नहीं दिया गया।

#### 4.2.10.3 राज्य सरकार द्वारा अनुदान को ऋण के रूप में जारी करना

दो परियोजनाएं अर्थात्. 400 के वी सब-स्टेशन श्रीनगर (खंदूखाल) और श्रीनगर पी एच लाइन को सी ई ए और विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई (2007)। इन परियोजनाओं को ए डी बी द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

इन परियोजनाओं के वित्त पोषण का अनुपात जी ओ यू द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी और ए डी बी से ऋण के रूप में 70 प्रतिशत था। चूंकि, उत्तराखण्ड एक विशेष श्रेणी का राज्य है, केंद्र सरकार ने ए डी बी ऋण का 90 प्रतिशत (₹ 160.66 करोड़) (अर्थात् परियोजना लागत का 70 प्रतिशत) अनुदान के रूप में जी ओ यू को इस आशय से पारित किया कि इससे अंतिम उपयोगकर्ताओं को कम टैरिफ के माध्यम से लाभ हो सके ओर शेष 10 प्रतिशत (₹ 17.85 करोड़) को प्रति वर्ष नौ प्रतिशत की दर से ऋण के रूप दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी ओ यू ने अनुदान जारी करने के बजाय कम्पनी को ऋण के रूप में ₹ 160.66 करोड़ (₹ 178.51 करोड़ का 90 प्रतिशत) हस्तांतरित कर दिया। चूंकि कम्पनी ने ₹ 160.66 करोड़ ऋण<sup>81</sup> राशि के रूप में प्राप्त किये थे, इसलिए ऐसी प्राप्ती का बोझ उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर दिया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी में, जी ओ यू ने सूचित किया (मई 2023) कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान कम्पनी को जी ओ यू के वित्त विभाग की सहमति से ऋण के रूप में जारी किया गया था। तथापि टैरिफ के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का उद्देश्य विफल हो गया था।

<sup>81</sup> ऋण कंपनी के खातों की पुस्तकों में देनदारी के रूप में प्रतिबिंबित होता है जबकि अनुदान देनदारियों के रूप में प्रतिबिंबित नहीं होता है और इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है

#### 4.2.10.4 अप्रयुक्त इक्विटी कम्पनी द्वारा वापससमायोजित नहीं की गई/

जी ओ यू द्वारा दो कार्यों के लिए ₹ 72.47 करोड़ की इक्विटी जैसा तालिका-4.2.4 में वर्णित है, निम्नलिखित शर्तों के साथ दी गई थी :

- स्वीकृत राशि का उपयोग उस परियोजना के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए यह दी गई थी और किसी भी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं थी।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध कोई भी बची हुई राशि बिना किसी देरी के जी ओ यू को सौंप दी जानी चाहिए; और
- भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जी ओ यू को प्रदान किया जाना है।

तालिका संख्या-4.2.4: अप्रयुक्त इक्विटी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	इक्विटी की प्राप्ति की तारीख	टिप्पणियां
1.	400 के वी डी/सी लोहारीनाग पाला कोटेश्वर पारेषण लाइन।	19.70	मार्च 2009	जी ओ यू ने कम्पनी को पारेषण लाइन परियोजना को रोकने/ छोड़ने का निर्देश दिया (जनवरी 2011) क्योंकि भारत सरकार ने पर्यावरणविदों के विरोध के कारण एन टी पी सी के लोहारीनाग पाला हाइड्रो प्रोजेक्ट को रोकने/छोड़ने का फैसला किया था। तदनुसार, कम्पनी ने जनवरी 2011 में अनुबंध समाप्त कर दिया।
2.	400 के वी डी/सी खंदूखाल-रामपुरा पारेषण लाइन।	52.77	अक्टूबर 2014	परियोजना निष्पादित नहीं की गई क्योंकि इसे दिसंबर 2020 में केंद्रीय क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया था।
<b>कुल</b>		<b>72.47</b>		

तालिका-4.2.4 से देखा जा सकता है, कि दोनों परियोजनाएं बंद कर दी गईं और इक्विटी के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग इक्विटी जारी करने के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं किया गया। कम्पनी ने न तो जी ओ यू द्वारा इक्विटी जारी करने के नियमों और शर्तों के अनुसार ₹ 72.47 करोड़ की स्वीकृत राशि को समर्पित किया और न ही अन्य परियोजनाओं पर इक्विटी का उपयोग करने की अनुमति मांगी।

बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि कम्पनी अन्य परियोजनाओं में इक्विटी का उपयोग करने के लिए जी ओ यू से अनुमति मांगेगी।

#### 4.2.10.5 परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण यू ई आर सी द्वारा लागत की अनुमति नहीं दी गई

कम्पनी ने विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए जो अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक स्थापित किए गए थे। हालांकि, यू ई आर सी ने स्थापित करने में देरी

के कारण चार परियोजनाओं में आई डी सी के ₹ 4.87 करोड़ की टैरिफ याचिका को अस्वीकार कर दिया। आई डी सी न देने का विवरण तालिका-4.2.5 में दिया गया है:

तालिका-4.2.5: आई डी सी की अनुमति न देना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	परियोजना के चालू होने की निर्धारित/वास्तविक तिथि	देरी महीनों में	टैरिफ में याचिका कम्पनी द्वारा दावा की गई लागत	टैरिफ में यू ई आर सी द्वारा अनुमोदित लागत	यू ई आर सी द्वारा आई डी सी को अनुमति नहीं दी गई
1.	220 के वी सब-स्टेशन आई आई पी हर्षवाला, देहरादून	15.12.2016/ 04.08.2018	20	57.02	56.29	0.73
2.	132 के वी सब-स्टेशन रानीखेत-बागेश्वर लाइन	15.05.2016/ 08.01.2020	44	49.66	47.67	1.99
3.	132 के वी जी आइ एस सब-स्टेशन बागेश्वर	25.03.2016/ 08.01.2020	46	56.03	54.78	1.25
4.	220 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर	14.04.2015/ 31.03.2021	71	42.53	41.63	0.90
<b>यू ई आर सी द्वारा अस्वीकृत कुल आई डी सी</b>				<b>205.24</b>	<b>200.37</b>	<b>4.87</b>

तालिका-4.2.5 से पता चलता है कि 20 से 71 महीने की देरी के कारण, परियोजनाओं के निर्माण में यू ई आर सी ने ₹ 4.87 करोड़ की आई डी सी को अस्वीकार कर दिया और कम्पनी टैरिफ के माध्यम से वसूली नहीं कर पाई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.87 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, टैरिफ याचिकाओं पर विचार करते हुए यू ई आर सी ने माना कि इन परियोजनाओं को लागू करते समय देरी के लिए दिए गए कारण नियंत्रित किए जा सकते थे और उचित योजना और निगरानी से इन्हें कम किया जा सकता था।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि भविष्य में परियोजनाओं की योजना वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाएगी।

**अनुशंसाएं:**

**कम्पनी विचार कर सकती है कि:**

- i) पी एस डी एफ अनुदान की समाप्ति और यू ई आर सी द्वारा लागत की अस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें; और

ii) अप्रयुक्त इक्विटी के उपयोग करने के लिए जी ओ यू की आवश्यक स्वीकृति लें।

#### 4.2.11 निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण

एक प्रभावी निगरानी तंत्र परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और निष्पादन के साथ-साथ पारिषण तंत्र के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे:

- समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों, जिम्मेदारियों और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के साथ विस्तृत परियोजना समय-सीमा विकसित करना।
- टास्क फोर्स (2005), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित अनुमोदनों में तेजी लाने और देरी से बचने के लिए वन, पर्यावरण और भूमि प्राधिकरणों के साथ समय पर समन्वय करना।
- बाधाओं को दूर करने के लिए ठेकेदारों, सलाहकारों और नियामक निकायों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी प्रबंधन नए सब-स्टेशन की योजना बनाने या पुराने सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने, अत्यधिक विलंबित परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करने, परियोजना निष्पादन के साथ समन्वय रखते हुए महत्वपूर्ण खरीद करने और दोनों ठेकेदारों से राशि की वसूली सुनिश्चित करने में विफलता, जैसा कि पहले पैराग्राफ में चर्चा की गई है। ऐसा मुख्यतः कम्पनी प्रबंधन की ओर से निगरानी में कमी के कारण हुआ।

##### 4.2.11.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी। हालाँकि, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कम्पनी द्वारा आउटसोर्स किया गया था। कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार आउटसोर्स एजेंसी को सौंपे गए आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, धन-मूल्य लेखापरीक्षा, पर्यावरण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा करना था। हालाँकि, आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का मानक सही नहीं था क्योंकि आउटसोर्स फर्मों ने न तो प्रणाली की कमियों की सूचना दी और न ही नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अवलोकन की ओर इंगित किया। फर्मों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को केवल अंकगणितीय लेखांकन त्रुटियों तक ही सीमित रखा और उपयुक्तता के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। सी ए जी की मार्च 2012 को समाप्त

हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा में भी इस प्रकरण को उजागर किया गया था, जिसमें कम्पनी प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया था और आश्वासन दिया था कि जल्द ही आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का गठन किया जाएगा। हालाँकि, कम्पनी 2012 में आश्वासन देने के बावजूद आंतरिक लेखापरीक्षा विंग स्थापित करने में विफल रही। 2018-20 की अवधि के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षकों को ₹ 16.04 लाख लेखापरीक्षा शुल्क दिया गया और उन्होंने कुल 16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि जनशक्ति की कमी को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा को आउटसोर्स किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की स्वीकृति के बाद, अलग आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के सुझावों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।

#### **अनुशंसाएं:**

**कम्पनी विचार कर सकती है कि:**

- i) परियोजना प्रबंधन के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करे; और**
- ii) संगठन के आकार और आवश्यकता के अनुरूप अपनी स्वयं की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करे।**

#### **4.2.12 निष्कर्ष**

1. परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन नियमावली के अभाव में परियोजनाओं की नियमित आधार पर पहचान नहीं की गयी। चिन्हित परियोजनाओं की योजना अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप सब-स्टेशन अधिभारित थे।
2. कम्पनी अधिकांश परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित करने में विफल रही। इसमें परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी के लिए प्रस्तुत औचित्य की समीक्षा करने और भविष्य में देरी से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था। समझौतों और अनुबंधों के आवंटन और निष्पादन में कमियों के प्रकरण थे। कम्पनी के पास परियोजनाओं की निगरानी के लिए किसी औपचारिक समीक्षा तंत्र का भी अभाव था, जो सम्भावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद कर सके।

3. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की पी एस डी एफ योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले कार्य सौंपने का पत्र जारी करने से अप्रभावी वित्त प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 20.27 करोड़ का अनुदान अनुपलब्ध रहा।
4. कम्पनी के पास अपना स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप समय पर प्रणाली में सुधार के लिए अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद था।

### 4.3 राजस्व की हानि

#### उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि ₹ 5.96 करोड़

उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम, यू पी सी एल<sup>82</sup>, राज्य में एकमात्र विद्युत वितरण लाइसेंसधारी है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग<sup>83</sup>, यू पी सी एल को अपने भुगतान न करने वाले ग्राहकों से अपने हितों की रक्षा करने हेतु प्रतिभूति लेने और 15 दिनों की सूचना अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर अस्थाई विच्छेदन और अस्थाई विच्छेदन की तारीख से छः महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में स्थाई विच्छेदन किए जाने की शक्ति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल ने उन उपभोक्ताओं, जो विशेष परिस्थितियों के कारण अपने विद्युत बकायों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, को किस्त सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश<sup>84</sup> जारी किए हैं। इस प्रकार दी गई किस्त सुविधाओं की शर्तों के अनुसार, किस्तें नियमित बिलों के साथ देय होंगी और किस्तों या नियमित बिलों के भुगतान में चूक की स्थिति में, विद्युत आपूर्ति बिना किसी सूचना के विच्छेदित की जा सकती है और बहाली केवल सम्पूर्ण बकाया धनराशि के भुगतान पर ही संभव होगी।

यू पी सी एल के विद्युत वितरण खंड - काशीपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) से ज्ञात हुआ कि एक उपभोक्ता, मेसर्स मल्टीवाल पल्प एंड & बोर्ड मिल्स प्रा. लि. को मार्च 2016 से मई 2019 की अवधि के दौरान तीन बार<sup>85</sup> किस्त सुविधा प्रदान

<sup>82</sup> कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत फरवरी 2001 में निगमित कंपनी।


<sup>83</sup> उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत क्षेत्र में राज्य नियामक के रूप में कार्य करने के लिए गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।

<sup>84</sup> दिनांक 27 जून 2011 के ओएम सं. 1,900 और दिनांक 20 मई 2017 के ओएम सं. 3,893 के माध्यम से

<sup>85</sup> मार्च 2016, अक्टूबर 2018; और अप्रैल 2019।

की गई और अनेको बार अस्थायी विच्छेदन<sup>86</sup> करने बावजूद लगातार राजस्व का बकाया था, जैसा कि चार्ट-4.3.1 में बताया गया है।

चार्ट-4.3.1: बकाया, किस्त की सुविधा और अस्थायी-विच्छेदन



उपरोक्त ग्राफ से देखा जा सकता है कि मार्च 2016 और अक्टूबर 2018 में किस्त की सुविधा प्रदान करने के बावजूद, उपभोक्ता द्वारा बकाया का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जब तीसरी बार ₹ 2.17 करोड़ की किस्त की सुविधा प्रदान की गई (अप्रैल 2019), तब बकाया राशि, यू पी सी एल द्वारा रखी गई प्रतिभूति (₹ 2.21 करोड़) के करीब था। अस्थाई विच्छेदन के बाद भी, बकाया धनराशि की वसूली किए बिना विद्युत आपूर्ति बहाल करके, उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया गया।

इस बीच, यू पी सी एल को (जून 2019) अंतरिम समाधान पेशेवर (आई आर पी) से एक सूचना मिली, जिसमें सूचित किया गया था कि दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी आई आर पी)<sup>87</sup> शुरू की गई है और 21 मई 2019 तक के विद्युत बकाया का दावा आई आर पी से किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल को, उपभोक्ता को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया था, जिसके बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा सामान्य रूप से

<sup>86</sup> 13 और 22 मार्च 2018; 21 अप्रैल 2018; 07 मई 2018; 04 जून 2018; 17 जुलाई 2018; 20 अगस्त 2018; 18 सितंबर 2018; 05 दिसंबर 2018; 11 और 28 फरवरी 2019; 12, 25 और 30 मार्च 2019; 25 अप्रैल 2019; 25 फरवरी 2020; 13 मार्च 2020 और 01 सितंबर 2020।

<sup>87</sup> कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी आई आर पी) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार एक कॉर्पोरेट देनदार के कॉर्पोरेट दिवालियापन को हल करने की प्रक्रिया है।

किया जाना था। तदनुसार, 21 मई 2019 तक की अवधि के ₹ 3.84 करोड़ का दावा आई आर पी को अग्रेषित किया गया और यू पी सी एल द्वारा उपभोक्ता को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई। हालांकि, उपभोक्ता ने अपने मासिक बिलों का या तो भुगतान नहीं किया या आंशिक भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप, सितंबर 2020 के बिलिंग माह, जब अंतिम अस्थाई विच्छेदन किया गया, के अंत तक कुल बकाया धनराशि बढ़कर ₹ 8.17 करोड़ हो गई। सी आई आर पी के अतंगत मामला लंबित होने के कारण 31 महीने (अप्रैल 2023<sup>88</sup>) से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद स्थायी विच्छेदन अभी तक नहीं किया गया था।

चूंकि यू पी सी एल के पास ₹ 2.21 करोड़ की जमानत राशि जमा है, अतः शेष ₹ 5.96 करोड़ (₹ 8.17 करोड़ - ₹ 2.21 करोड़) वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि उपभोक्ता मई 2019 से दिवालिया प्रक्रिया में है।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि हालांकि बकाया राशि की वसूली के लिए सभी उपलब्ध उपायों का प्रयोग किया जाता है, कई मामलों में, दंडात्मक कार्रवाई आंशिक वसूली की संभावनाओं को भी बहुत कमजोर बना देती है। इसके अतिरिक्त, संयोजन को स्थायी रूप से काटने के परिणामस्वरूप संभवतः एक बार में बकाया राशि की वसूली नहीं हो, लेकिन उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए, उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों के अनुसार उचित और व्यावहारिक तरीके से कार्य किया और बकाया राशि की वसूली की संभावनाओं को जीवित रखने के लिए उपभोक्ता को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई का सहारा नहीं लिया।

कम्पनी प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ता की साख के मूल्यांकन और जांच पड़ताल किए बिना कई बार किस्त सुविधा प्रदान करके उपभोक्ता को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त, बकाया धनराशि का वसूली किए बिना 18 बार (अस्थाई विच्छेदन के बाद) विद्युत आपूर्ति बहाल करके बकाया धनराशि को बढ़ने की अनुमति दी गई, जो उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की किस्तों की सुविधा देने की अपनी शर्तों के साथ-साथ उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम, 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

---

<sup>88</sup> निश्चित शुल्क और देर से भुगतान अधिभार के आधार पर लगातार विद्युत बिल बनाए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2023 के विद्युत बिल में ₹ 20.45 करोड़ का बकाया शेष दर्शाया गया है।

ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार ने प्रस्तर पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक (मई 2023) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए आंतरिक जांच और निगरानी हेतु एक संगठित प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप विद्युत बकाया एकत्रित होता गया, जो बाद में उपभोक्ता के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात ₹ 5.96 करोड़ की सीमा तक अप्राप्य हो गया।

देहरादून  
दिनांक: 25 अगस्त 2025



(संजीव कुमार)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 02 सितम्बर 2025



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

